अंक : 98
जुलाई-सितम्बर 2002

राजभाषा भारती

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लीला हिंदी प्राज्ञ सॉफ्टवेयर का लोकार्पण करते हुए उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी। उनके साथ खड़े हैं (बाएं से) राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री मदन लाल गुप्ता, राजभाषा विभाग के सचिव श्री एस॰ के॰ टुटेजा, गृह राज्य मंत्री श्री आई॰ डी॰ स्वामी तथा सी॰ डैक, पुणे के कार्यकारी निदेशक श्री आर॰ के॰ अरोड़ा।

राजभाषा भारती

वर्ष : 25

अंक-98

(जुलाई-सितम्बर, 2002)

विषय-सूची

	लेख का नाम	लेखक	पृष्ठ संख्या
	संदेश		(i) से (vi)
संपादक (पदेन)	संपादकीय		(vii)
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव	लेखों के विषय में		(viii)
निदेशक(अनुसंधान)	राजभाषा प्रबंधन,		
फोन 4619521	कार्यान्वयन में उद्देश्यों की भूमिका एवं वार्षिक कार्यक्रम	निशिकांत महाजन	1
	केन्द्रीय सरकार के कार्यलयों में		
उप संपादक	राजभाषा हिंदी का प्रयोग-प्रसार	डा० एन० चन्द्रशेखरन नायर	8
सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा	नारी सौंदर्य का अनुपम चितेरा :		
फोन 4698054	अनातोली ज्वेरेव	डा० विभा शुक्ला	16
	लोकनायक जयप्रकाश नारायण :		
	अनूठे स्वतंत्रता सेनानी	हरिकृष्ण निगम	21
	कंप्यूटर वाइरस : कारण और निवारण	डा० अमर सिंह वधान	25
नि:शुल्क वितरण के लिए	गरीबी का दुष्चक्र और भारतीय अर्थव्यवस्था	एम० पी० सैनी	31
	मानवाधिकार और श्रम कानून	राजन मिश्रा	35
पत्र व्यवहार का पता	क्षमता एवं एकता की संस्कृति का	डा० राम गोपाल शर्मा	44
संपादक :	प्रतिपादक शैव प्रत्याभिज्ञा दर्शन	दिनेश	
राजभाषा भारती			
राजभाषा विभाग	रैबीज, हाइड्रोफोबिया या जल-भीति	डा० रामदास नादार	50
गृह मंत्रालय,	गज़ल	प्रो० शशिकांत पशीने शाकिर	54
दूसरा तल,			
लोकनायक भवन,	गीत	लालसा लाल तरंग	55
नई दिल्ली-110003	राजभाषा संबंधी गतिविधियां		57

विशेष : पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

2849 HA/2002—1A

लाल कृष्ण आडवाणी

उप प्रधान-मंत्री

संदेश

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

हमारे लिए यह एक सुखद अनुभूति है कि भारत अनेक समृद्ध भाषाओं से परिपूर्ण है। हमारी भाषाओं ने हमें समय-समय पर प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने और सारे राष्ट्र को एक मजबूत समाज के रूप में उभारने में हिंदी ने एक मूल्यवान भूमिका निभाई है। उसकी परिणति 14 सितम्बर, 1949 में हिंदी को राजभाषा का स्थान देने से हुई है। इसी राष्ट्रीय निर्णय को मनाने के लिए आज के दिन हम राजभाषा हिंदी संबंधी अपने प्रयासों और भावी कार्यक्रमों का लेखा जोखा लेते हैं।

हमें आपसी सौहार्द और भाइचारे से हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है। इससे हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और गणतंत्र को बल मिलेगा। सरकार और जनता के बीच का सामंजस्य बढ़ेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध हो सकेगा। हिंदी के उन्नयन और प्रसार में स्वैच्छिक संस्थाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रेस की विशेष भूमिका है। प्रेस और मीडिया की कर्मभूमि देश के सभी भाषाई क्षेत्र हैं। मुझे आशा है कि स्वैच्छिक संस्थाएं, दूरदर्शन, आकाशवाणी सहित समस्त मीडिया और प्रेस इस काम में योगदान करेंगे। इसी प्रकार सभी विषयों के लेखक भी हिंदी भाषा में स्तरीय पुस्तकें लिखकर अपना योगदान दें तो एक प्रंशसनीय कार्य करेंगे। प्रकाशकों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे हिंदी भाषा के लेखकों की पुस्तकों का उत्साहपूर्ण प्रकाशन करें जिससे हिंदी भाषा का प्रचार—प्रसार बढ़ सके।

केन्द्र सरकार का सारा काम राजभाषा हिंदी में होना अपेक्षित है। राजकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्ठा और उत्साह से काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाएंगे।

वन्दे मातरम्

14 सितम्बर, 2002

(लाल कृष्ण आडवाणी)

कृष्ण चन्द्र पन्त

उपाध्यक्ष
योजना आयोग
भारत

सितम्बर 3, 2002

संदेश

14 सितम्बर का दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली दिवस है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी दिन देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा "**हिन्दी**" को "संघ की राजभाषा" के रूप में अंगीकार करने का संकल्प पारित किया था। तदनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह उपबंधित किया गया था कि "**संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी**"। इसी संकल्प की पावन स्मृति में हम प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को "**हिन्दी दिवस**" के रूप में मनाते आ रहे हैं और राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, प्रचार तथा प्रसार को सतत् आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होते रहे हैं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले कुछ वर्षों से योजना आयोग में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सभी स्तरों पर सतत् बढ़ रहा है और कुछ मामलों में तो इसने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। हमारे नियंत्रणाधीन कार्यालयों ने भी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में गहरी रूचि दिखायी है और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में हमारे बढ़े हुए कदम तनिक भी पीछे न हटने पाएं तथा प्रत्येक "**हिन्दी दिवस**" हमारे लिए नए कीर्तिमानों, नई उपलब्धियों और नए संकल्पों का प्रतीक बन कर आए।

"हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में, मैं योजना आयोग तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ-साथ उन्हें **माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन प्रेरणादायक विचारों से भी अवगत कराना चाहूंगा :—**

> "देश की विकास और कल्याणकारी योजनाओं की सफलता में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी भाषाओं का विकास करें और उनका प्रयोग करें जिन्हें जनता आसानी से समझती है। इसलिए जनता और प्रशासन के बीच एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए हमें हिन्दी को सशक्त बनाना होगा।"

राष्ट्रभाषा और राजभाषा "हिन्दी" के ध्वज को उन्नत करना जहां हम सभी का राष्ट्रीय कर्त्तव्य है वहीं जनता-जनार्दन की सच्ची सेवा भी।

(कृष्ण चन्द्र पन्त)

अनन्त कुमार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110 011

9 सितम्बर, 2002

अपील

किसी राष्ट्र की उन्नति में उसकी भाषा और संस्कृति का अहम योगदान होता है। यों तो हर देश में अनेक भाषायें बोली जाती हैं मगर उनमें एक भाषा ऐसी होती है जो देश भर के विभिन्न भाषा-भाषी लोगों को एक दूसरे के निकट लाती है। उस भाषा को अधिकतर लोग बोल-समझ सकते हैं। हिन्दी एक ऐसी ही भाषा है, जो भारत में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लेकर विदेशों तक में बोली-समझी जाती है। अत: हिन्दी अखिल भारतीय भाषा के साथ-साथ विश्व के अनेक देशों में बोली जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बनती जा रही है।

हिन्दी सरल, सुबोध और सहज भाषा है। इसीलिए भारत के प्रसंग में महात्मा गांधी ने हिन्दी भाषा पर जोर दिया और इसीलिए 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी। तभी से हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

भारत भी एक बहुभाषी राष्ट्र है, अत: संविधान में मान्य सभी भाषाओं का आदर करते हुए हमें इस बहुभाषी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखकर सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पूरे देश को हिन्दी बहुल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अन्य भाषाओं के समानार्थी शब्दों को हिन्दी में अपना लें, तभी हम कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, असमिया तथा उड़िया भाषियों को यह विश्वास दिला पायेंगे कि हिन्दी भी उनकी अपनी भाषा है।

मेरा मत है कि हिन्दी में काम करना सरल है। इस दिशा में हमारे वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिन्दी का अधिक प्रयोग करके अधीनस्थ कर्मचारियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। वे आम बोलचाल में और बैठकों में अधिक से अधिक चर्चा हिन्दी में करें। इससे कर्मचारियों के मन में हिन्दी में काम करने का उत्साह पैदा होगा। इससे राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ "अनेकता में एकता" को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें आरम्भ में कठिनाई तो होगी, लेकिन अभ्यास करते रहने से हिन्दी में काम करना कठिन नहीं रहेगा।

जय भारत : जय भारती

(अनन्त कुमार)

एम. कण्णप्पन

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत
भारत सरकार
नई दिल्ली

संदेश

14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को भारत संघ की 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया गया और संविधान के लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से हिन्दी इस देश की राजभाषा बन गई।

मैं हिन्दी दिवस के अवसर पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उपक्रम (इरेडा) तथा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि वे अपने कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें और संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजभाषा अधिनियम की धाराओं, राजभाषा नियमों का पालन करें तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए नए वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाएँ।

सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और सम्पर्क भाषा हिंदी में किया जाए तो यह देश के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

(एम. कण्णप्पन)

मंत्रिमंडल सचिव
नई दिल्ली

टी. आर. प्रसाद

संदेश

देश की संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को यह निर्णय लिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा हमारी राजभाषा होगी।

2. भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। हिन्दी राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और जनसम्पर्क का सबसे उत्तम सूत्र है। संविधान में वर्णित सभी प्रांतीय भाषाओं का आदर करते हुए, इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधने में भी हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। इसमें इस प्रयोजनार्थ विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए मंत्रालयों/विभागों को भरपूर प्रयास करने चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से यह कार्य और सुचारू ढंग से किया जा सकता है।

4. हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में वृद्धि हुई है, फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अत: हमें सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए।

टी आर प्रसाद

(टी. आर. प्रसाद)

कमल पाण्डे

गृह सचिव
भारत सरकार

दिनांक 16 सितम्बर, 2002

संदेश

हिन्दी हमारी संस्कृति की संवाहिका है। यह हमारी राष्ट्रभाषा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता की भाषा, देश की सम्पर्क भाषा और जनभाषा भी है। इन्हीं सब गुणों के कारण हिन्दी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई है।

यद्यपि हमारे दैनिक जीवन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ गया है लेकिन राजभाषा के रूप में इसको अभी वह स्थान ग्रहण करना है जिस पर अंग्रेजी विराजमान है। हम सबका दायित्व बन जाता है कि गृह मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास करें।

हिन्दी पखवाड़े के आयोजन के अवसर पर मैं विशेषत: अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे स्वयं अधिक से अधिक दैनिक सरकारी कार्य हिन्दी में ही करें ताकि इससे कर्मचारियों को भी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल सके।

धन्यवाद,

(कमल पाण्डे)

संपादकीय

यह एक सुखद अनुभूति है कि 14-9-2002 के हिंदी दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार, उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें हिंदी को पूरी तौर पर राजभाषा बनाने का संकल्प दोहराया गया। भारत के स्वतंत्र होने की कल्पना के साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में अपनाने की परिकल्पना की थी। इस परिकल्पना को मूर्तरूप तब मिला जब संविधान सभा ने 14-9-1949 को देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। जैसाकि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय उप प्रधानमंत्रीजी ने कहा था कि यदि सारा देश हिंदी को अपना ले तो हिंदी विश्व की भाषा हो सकती है।

संतोष की बात है कि हमारे देश में विविधता में एकता है। जिस प्रकार केन्द्र स्तर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है उसी प्रकार राज्यों की अपनी समृद्ध भाषाएं और बोलियां हैं। इनमें से अधिकांश भाषाएं राज्यों की राजभाषाएं हैं। इन भाषाओं का प्रयोग सरकारी कामकाज में बढ़ाना भी हम सबका कर्तव्य है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सहयोग और सहकारिता का भावना बढ़े क्योंकि ये एक दूसरे का संपूरक हैं। संविधान में भी यह व्यवस्था दी गई है कि संघ हिंदी का प्रचार-प्रसार संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूपशैली और और पदों को आत्मसात करके ही संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करें।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हिंदी के सामने एक गंभीर चुनौती भी आ गई है। ऐसा लगता है कि सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण होने से हिंदी का मार्ग प्रशस्त होने के बजाय अवरुद्ध हुआ है। हमें इस स्थिति से भी निपटना होगा और कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना होगा। सरकार की नीति राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेम, सद्भावना और प्रेरणा से बढ़ाने की है। राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न संस्थागत प्रबंध इसी दिशा में प्रयास हैं।

लेखों के विषय में

राजभाषा विभाग का यह प्रयास रहा है कि राजभाषा भारती में संकलित किए जाने वाले लेखों को भाषा और साहित्य संबंधी विषय तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि उसमें आधुनिक ज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विद्वानों के लेखों को भी शामिल किया जाए। इसी क्रम को जारी रखते हुए राजभाषा भारती के वर्तमान अंक में हिन्दी साहित्य, विधि, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और आयुर्विज्ञान से संबंधित विधाओं के लेख संकलित किए गए हैं।

निशिकांत महाजन के लेख "राजभाषा प्रबंधन, कार्यान्वयन में उद्देश्यों की भूमिका एवं वार्षिक कार्यक्रम" में सरकार की राजभाषा नीति सें संबंधित विभिन्न प्रावधानों का सविस्तार उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया गया है कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी संगठनों के प्रबंधन वर्ग को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की नितांत आवश्यकता है। डा० एन० चद्रशेखरन नायर के "केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग-प्रसार" में इस तथ्य की पुनर्रावृति की गई है कि हिंदी एक विकसित और समृद्ध भाषा है, जिसका उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संभव है।

डा० विभा शुक्ला का लेख "नारी सौंदर्य का अनुपम चितेरा: अनातोली ज्वेरेव" में अनातोली को बीसवीं सदी का एक महान कलाकार बताते हुए यह उद्घाटित किया गया है कि अनातोली को बचपन में चित्रकला से कोई विशेष लगाव नहीं था और न ही उनकी इच्छा एक चित्रकार बनने की थी। उनका जीवन कष्टों से उलझा हुआ था और उनका व्यक्तित्व अत्यंत विद्रोही तथा स्वभाव खानाबदोशों जैसा था। कालांतर में चित्रकला उनके रोम-रोम में बस गई और वे घर की दीवारों, फर्शों और दरवाजों यहां तक कि कपड़ों और बिस्तरों पर भी चित्र बनाते और अंततोगत्वा विश्व के एक महान चित्रकार बने। 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण : अनूठे स्वतंत्रता सेनानी' में हरिकृष्ण निगम ने जयप्रकाश नारायण को कुशल राजनीतिज्ञ बताते हुए यह उल्लेख किया है कि वे सर्वदा अपने को सत्ता लोलुपता से दूर रख कर देश हित में सहमति की तलाश करने का प्रयास करते थे।

डा० अमर सिंह वधान का लेख "कंप्यूटर वाइरस : कारण और निवारण" वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सूचनाप्रद लेख है। एम० पी० सैनी के "गरीबी का दुष्चक्र और भारतीय अर्थव्यवस्था", राजन मिश्रा के "मानवाधिकार और श्रम कानून" तथा डा० राम दास नादार के "रैबीज, हाइड्रोफोबिया या जल भीति" जैसे लेखों से सुधी पाठकगण निश्चित ही लाभान्वित होंगे।

—उप संपादक

राजभाषा प्रबंधन, कार्यान्वयन में उद्देश्यों की भूमिका एवं वार्षिक कार्यक्रम

—निशिकांत महाजन

जब हम कोई भी काम करते हैं, उसका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। यहां तक कि हम भोजन करते हैं तो इसलिए कि शरीर में ऊर्जा और शक्ति उत्पन्न हो और हम जीवित रह सकें। मनुष्य इस प्रकार कार्य करता है जिससे कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। विवेकपूर्ण तथा समझदारी का आचरण वही माना जाता है जिसमें ऐसे कार्य समाहित हों जो हमें पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों। प्रबंधन भी विवेकपूर्ण तभी होगा यदि इसके क्रियाकलाप लक्ष्य पूर्ति की ओर उन्मुख हों। उद्देश्यों की प्राप्ति ही वह लक्ष्य है जिसके निमित्त सभी कार्य किए जाते हैं।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में भी लक्ष्यों को ध्यान में रखना अपेक्षित है। समय-समय पर जारी राजभाषा संबंधी विभिन्न आदेशों, वार्षिक कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यकलापों का भी मुख्य तथा अंतिम लक्ष्य यही है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों आदि में लगभग सारा काम मूल रूप से हिंदी भाषा में हो। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग साधन मात्र है, अपने में लक्ष्य नहीं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कार्यकलाप निर्धारित किए जाने चाहिए।

राजभाषा के क्षेत्र में उद्देश्यों की भूमिका :

प्रबन्धन शास्त्र के अनुसार संगठन के उद्देश्य ही कर्मचारी वर्ग की गतिविधियों को दिशा निर्देश देते हैं। राजभाषा के क्षेत्र में उद्देश्यों का सीधा संबंध सरकार की राजभाषा नीति से है। राजभाषा नीति का विकास संविधान सभा, संसद तथा सरकार द्वारा पिछले पांच दशकों में होता गया है। संविधान सभा में राजभाषा नीति की नींव रखी गई जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों का राजकाज़ देश की जनता की भाषाओं में किया जाना अपेक्षित है। संविधान में जहां अनुच्छेद 343 में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, वहीं अनुच्छेद 345 द्वारा यह उपबंध किया गया कि प्रत्येक राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं के बारे में निर्णय राज्य का विधान मण्डल करेगा तथा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते

हुए संसद ने यद्यपि राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा प्रावधान किया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी होते हुए भी, कतिपय प्रयोजनों के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया जा सकेगा परन्तु कई प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी का एक साथ प्रयोग करने की अनिवार्यता की है। उक्त अधिनियम का संशोधन 1967 में करते समय संसद ने एक महत्वपूर्ण कदम राजभाषा संकल्प 1967 पारित करके उठाया। इस संकल्प द्वारा संसद ने कार्यपालिका, अर्थात् केन्द्रीय सरकार को, स्पष्ट निदेश दिया कि वह हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने एवं विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु एक गहन तथा व्यापक कार्यक्रम तैयार करे, उसे कार्यान्वित करे और इस विषय में हुई प्रगति की विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करे। राजभाषा नीति के विकास का अगला चरण सरकार द्वारा तब उठाया गया जब 1976 में राजभाषा नियम अधिसूचित किए गए। इनमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग के विषय में विस्तृत नियम बनाए गए, जो पत्राचार की भाषा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, मैनुअलों, संहिताओं, प्रक्रिया साहित्य, लेखन सामग्री आदि की द्विभाषिकता प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व आदि से संबंधित है। राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों पर जारी किए गए आदेश राजभाषा नीति के विकास की एक सतत प्रक्रिया है। इन सब के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन के संदर्भ में सरकार की नीति साम और दाम की रही—दंड और भेद की नहीं। सरकार की नीति है कि जहां राजभाषा हिंदी के संबंध में संवैधानिक उपबंधों, अधिनियम, नियमों एवं आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाए। वहीं हिन्दी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव से बढ़ाया जाए। राजभाषा के संबंध में उद्देश्यों और नीति दोनों का अपना-अपना महत्व है। राजभाषा नीति उन नैतिक मूल्यों का प्रतीक है जो महान उद्देश्यों के साथ जुड़े रहते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधनों के चयन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, राजभाषा नीति तथा इसके कार्यान्वयन के क्रियाकलापों का परम उद्देश्य अथवा लक्ष्य है केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में लगभग सारा काम मूलरूप में हिंदी भाषा में हो। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों तथा प्रबन्धन तकनीकों का प्रयोग तो केवल साधन मात्र है।

एक अन्य दृष्टिकोण से सोचा जाए तो साधन भी कभी-कभी मध्य अवधि के या अल्पकालीन लक्ष्य बन जाते हैं—विशेषकर पूरे संगठन के एक विभाग के लिए। उदाहरणतया हिंदी शिक्षण योजना को लें। जबकि राजभाषा नीति का मुख्य उद्देश्य है कि सारा काम हिंदी में हो, इसकी पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षण योजना केवल एक साधन मात्र है। कर्मचारी हिंदी में काम तभी कर पाएंगे जब उन्हें हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होगा तथा हिंदी टंकक और आशुलिपिक उपलब्ध होंगे। आज भी केन्द्रीय सरकार के ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है या जिन्हें हिंदी टाइपिंग अथवा आशुलिपि नहीं आती। उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य हिंदी शिक्षण योजना तथा इसके प्रभारी कार्यालय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को सौंपा गया है। इस प्रकार हिंदी शिक्षण योजना जहाँ मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सहायक साधन है वहां यह

हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का मध्यम अवधि लक्ष्य भी है। क्योंकि अभी भी बहुत से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है, प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है। तदनुसार प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का महत्व काफी समय तक बना रहेगा।

राजभाषा विभाग के अन्य अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा अनुवाद से संबंधित उसकी गतिविधियों की भी ऐसी ही स्थिति है। वे भी राजभाषा नीति के उपर्युक्त मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में साधन मात्र ही हैं। यदि सारा सरकारी काम हिंदी में होना है तो उसके लिए सभी कोड, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य, फार्म आदि हिंदी भाषा में उपलब्ध होने चाहिए। मूलरूप में अंग्रेजी भाषा में लिखित इन कोडों, मैनुअलों आदि के अनुवाद का कार्य ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। जब तक यह प्रक्रिया साहित्य हिंदी में उपलब्ध नहीं हो जाएगा, अनुवाद ब्यूरो का काम चलता ही रहेगा। इस प्रकार केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के लिए भी यह कार्य मध्यम अवधि उद्देश्य बन जाता है।

देवनागरी के टाइपराइटर तथा कम्प्यूटर आदि यांत्रिक उपकरण भी मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में सहायक साधन मात्र हैं। परन्तु जब तक किसी कार्यालय में पर्याप्त संख्या में ये उपकरण उपलब्ध नहीं होते, तब तक के लिए उस कार्यालय/अनुभाग के लिए टाइपराइटरों/कम्प्यूटरों को प्राप्त करना अल्पकालिन लक्ष्य बन जाता है।

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए बनाया गया "**वार्षिक कार्यक्रम**", राजभाषा नीति के मुख्य उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में जहां साधन है और आगे बढ़ने की सीढ़ी है, वहीं वह अपने आप में प्रत्येक विभाग, कार्यालय आदि के मध्यम अवधि लक्ष्य की भूमिका को निभाता है। इस 'कार्यक्रम' में केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान हिंदी में काम करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से राजभाषा नियम, 1976 में देश में 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्र बनाए गए हैं। वार्षिक कार्यक्रम में कुछ कार्य ऐसे हैं जो शतप्रतिशत हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में किए जाने अपेक्षित हैं। अन्य कई मदों के अन्तर्गत 'क', 'ख' तथा 'ग' तीनों क्षेत्रों के लिए हिंदी कार्य की अपेक्षित मात्रा अलग-अलग निर्धारित की गई है।

राजभाषा संकल्प वार्षिक कार्यक्रमों की मदों की विवेचना करने से पूर्व उपयुक्त होगा कि इनकी पृष्ठभूमि को भी जान लिया जाए। वार्षिक कार्यक्रम का सूत्रपात राजभाषा संकल्प से हुआ जिसे संसद ने दिसंबर, 1967 में पारित किया तथा जिसे जनवरी, 1968 में अधिसूचित किया गया। यह संकल्प अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस संकल्प के पैरा 1 में संसद ने पहली बार सरकार को हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर उसे कार्यान्वित करवाने का निदेश दिया। संकल्प के अन्य पैराग्राफों में भारत की विभिन्न भाषाओं के

विकास, स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र तथा भर्ती परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम के रूप में अपनाए जाने के विषय में भी निदेश दिए। इस संकल्प के माध्यम से संसद ने भाषा नीति की समग्र तस्वीर सरकार के सामने रखी।

संकल्प का राजभाषा हिंदी तथा वार्षिक कार्यक्रम में संबंधित पहला पैरा इस प्रकार है :—

"जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है;

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं इस संबंध में हुई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।"

उपर्युक्त से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं—

(क) यह बात दोहराई गई कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनूसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी,

(ख) हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और उसका विकास करना संघ का कर्तव्य है,

(ग) भारत सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उसका उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करती रहे,

(घ) कार्यक्रम बनाना ही काफी नहीं होगा, उसे कार्यान्वित भी किया जाएगा,

(ङ) कार्यक्रम बनाने और उसे कार्यान्वित कराने का काम सरकारी कार्यालयों की रूटीन कार्रवाई के समान नहीं होगा, अपितु किए जाने वाले उपायों एवं उनकी प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

वार्षिक कार्यक्रम : यह संकल्प उपेक्षित नहीं पड़ा रहा है, इसके उपर्युक्त पैरा को कार्यान्वित कराने के संबंध में काफी प्रयत्न हुए हैं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय (बाद में

राजभाषा विभाग)संकल्प के पारित होने के पश्चात्, विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों से परामर्श करके हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने के संबंध में प्रतिवर्ष कार्यक्रम तैयार करता रहा है और उनके कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवर्ष प्रगति का लेखा-जोखा "वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट" के रूप में संसद को प्रस्तुत करता रहा है। यह कार्यक्रम कई वर्ष केन्द्रीय हिंदी समिति का अनुमोदन प्राप्त करके अपनाया गया। इस समिति में वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री सदस्य हैं तथा अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं। पिछले कुछ वर्षों से कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समिति के सदस्य रहते हैं। इनके अलावा राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य तथा भारत के विभिन्न भागों के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हिंदी के प्रति रुचि रखते हैं, इस समिति के सदस्य हैं।

संकल्प के उपर्युक्त पैरा के अनुसरण में भारत सरकार ने विभिन्न वर्षों में यह निर्धारित किया कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में किस-किस प्रकार का काम तथा कितना-कितना प्रतिशत काम हिंदी में करने का प्रयत्न किया जाएगा, नए टाइपराइटरों अथवा कार्यालय के उपकरणों की खरीद करते समय कितने प्रतिशत देवनागरी लिपि के खरीदे जाएंगे, केन्द्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कितने कर्मचारियों को हिंदी सिखाई जाएगी, कितने टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, आदि-आदि।

वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित मदों का मुख्य आधार राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश हैं; जैसे :

(1) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना तथा निविदा फार्म, संसद कि समक्ष रखे जाने वाली रिपार्टें तथा अन्य कागजात पत्र, इन सबके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग किया जाए।

(2) सभी मैनुअल, संहिताएं तथा अन्य प्रक्रिया साहित्य, फार्म, नामपट्ट, सूचनापट्ट तथा स्टेशनरी आदि द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) हों।

(3) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।

(4) 'क' या 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय, अन्य कार्यालय या किसी व्यक्ति से पत्राचार के लिए केवल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए।

(5) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच, मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर, पत्र व्यवहार केवल हिंदी में किया जाए।

इसके अतिरिक्त कुछ मदों में परिमाणसूचक-लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और यह परिमाण लगभग हर वर्ष बढ़ाए गए हैं ताकि हिंदी के प्रयोग की मात्रा में वृद्धि हो सके । ये लक्ष्य सामान्यत: निम्नलिखित मदों के संबंध में निर्धारित किए जाते रहे हैं :

(1) मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार का न्यूनतम प्रतिशत ;

(2) 'क' 'ख' व 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों के बीच हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत ;

(3) 'क' 'ख' व 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों में हिंदी टाइपराइटरों, हिंदी टंककों तथा आशुलिपिकों का न्यूनतम प्रतिशत ;

(4) हिंदी में तार तथा टैलेक्स संदेशों का प्रतिशत ;

(5) हिंदी कार्यशालाओं, निरीक्षणों की संख्या ;

(6) राजभाषा कार्यान्यवयन समिति की बैठकों की संख्या आदि।

सुविधा की दृष्टि से वार्षिक कार्यक्रम में कुछ लक्ष्यों को हर वर्ष दोहराया जाता है ताकि उन पर सबकी दृष्टि बनी रहे और उनके अनुपालन में शिथिलता न आने पाए, जैसे :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए।

(2) सभी विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किए जाएं और उन्हें संबंधित भाषा के सामचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।

(3) इलैक्ट्रानिक उपकरण (टाइपराइटर, शब्द संसाधक, कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर आदि) द्विभाषी ही खरीद जाएं।

(4) भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र द्विभाषी हों और अंग्रेजी के अनिवार्य पत्र को छोड़कर अन्य सभी में हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प उपलब्ध हो। साक्षात्कार के लिए भी हिंदी माध्यम का विकल्प उपलब्ध हो।

(5) प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम से भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(6) 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए।

(7) कार्यालय के पुस्तकालय में निर्धारित बजट के 25 से 50 प्रतिशत भाग से हिंदी की पुस्तकें खरीदी जाएं।

यह स्वाभाविक है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों आदि में हिंदी के प्रयोग का परिमाण अलग-अलग होगा और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की मात्रा भी अलग-अलग होगी। अत: मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने समूचे संगठन और उसके अधीन कार्यालयों के सम्बन्ध में समग्र रूप से यह समीक्षा करें कि वहां हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक क्या कमियां रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए तथा सभी सरकारी संगठनों के लिए भारत सरकार ने वार्षिक कार्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। वे तदनुसार अपना कार्यक्रम बनाएंगे और तत्संबंधी स्पष्ट निदेश अपने प्रभागों, अनुभागों और नियन्त्राणाधीन कार्यालयों को देंगे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यालय वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप अपने लिए मध्यम अवधि तथा अल्पकालिन या तात्कालिक उद्देश्य स्वयं निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के प्रयास करेगा। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि कई ऐसे कार्यालय हैं जिन्होंने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए हैं। ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण, अवसरों की पहचान और अपनी शक्तियों के उपयोग से निश्चय ही हम सभी अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा में गति ला सकेंगे। अत: कोई कारण नहीं कि प्रयत्न करने पर अन्य कार्यालयों को भी अधिकांश मदों में सफलता न मिल सके।

48-सी, एम आई जी फ्लैट, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

2849 HA/2002—2A

केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग-प्रसार

—डॉ० एन० चन्द्रशेखरन नायर

पिछले पचहत्तर वर्षों से भारत में हिंदी की प्रगति क्रान्तिकारी रही है। राष्ट्र भाषा के रूप में, नहीं तो जन-भाषा के रूप में हिंदी की श्रीवृद्धि आशाजनक है। आज यह मान्यता भी उसे प्राप्त हुई है कि हिंदी भारत देश की सम्पर्क भाषा अथवा राष्ट्रभाषा है। इस बढ़ती हुई प्रगति का श्रेय गांधीजी को ही देना है, जिन्होंने इस भाषा को देशीय स्तर पर लाने का आन्दोलन दक्षिण भारत में शुरू कराया और उसे सफल बना दिया। तमिलनाडु में जड़ जमाकर यह भाषा-आन्दोलन सारे दक्षिण में पल्लवित हुआ और धीरे-धीरे उत्तर के हिंदी और अहिंदी प्रदेशों में आंधी रूप में व्याप्त हुआ। आज वही हिंदी भाषा-प्रचलन सशक्त रूप में दुनियां के पचास से ज्यादा ऐसे देशों में भी अपना चमत्कार दिखा रहा है, जहां भारतीय मूल के लोग जाकर बसे थे और आज उन देशों पर उनका स्वत्वाधिकार चलता है।

आज तक हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विधिवत् पठन-पाठन भारत भर के शिक्षालयों एवं विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जाता है और उन विविध विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी अपेक्षाकृत एकरूपता कायम रहती है।

हम अब केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग-प्रसार पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में, सरसरी दृष्टि से, दुनिया में उसको प्राप्त मान्यता को समझकर मुख्य विषय को पकड़ना ठीक होगा। मतलब यह है कि राष्ट्रपिता ने स्वाधीन भारत में राष्ट्रभाषा को जो दर्जा दिला देना चाहा था वह राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय अस्मिता का दर्जा था। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारी आदेशों में अभी तक वह मान्यता हिंदी को नहीं मिली है जिस की प्राप्ति की कल्पना गान्धीजी ने की थी।

दुनियां के सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित राष्ट्रों के विद्वानों एवं अधिकारियों का यह संकल्प है कि भारत जैसा संस्कृत तथा सुसभ्य राष्ट्र अपनी राष्ट्र भाषा को प्राथमिकता देगा और उसे अन्य राष्ट्रों के समक्ष भव्य रूप में प्रस्तुत करेगा। जब इस संकल्प को विकृत करते हुए किसी राजदूत ने अंग्रेजी में अपने कागजात प्रस्तुत किए तो, जैसे स्टालिन ने श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित जी से पूछा 'क्या तुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है?' धृष्टतापूर्ण प्रश्न हुआ है। मतलब यह है कि दुनियां यह चाहती है कि भारत अपने गौरव, विरासत तथा स्वत्वाधिकार को निबाहे।

2849 HA/2002—2B

आज भारत को आजाद हुए पचास वर्ष होने जा रहे हैं। इस लम्बे अरसे के बाद भी हम यह सोचते रहें कि हिंदी दिवस मनाना है, तो किस तरह मनाना है, किस-किस को बुलाकर समारोह को सम्पन्न बनाना है, तो हमें अवश्य ही स्वयं लज्जित होना है। इस लज्जा अथवा अपमान के लिए अन्य राष्ट्र या विद्वान दोषी नहीं हैं। क्या वास्तव में गत पचास वर्षों के बीच हिंदी की प्रगति के लिए, उसके काम चलाऊ स्वरूप के लिए कुछ नहीं किया गया है? यह बहुत मार्के का प्रश्न है। चिन्तनशील व्यक्ति के मन से उठने वाला प्रश्न है। इसलिए, इस प्रश्न का समाधान कब-कैसे किया जाना है, इस विषय पर ही यह चर्चा तैयार की गई है।

हां, हम कह रहे थे कि दुनियां में अब तक हिंदी को एक सचेतन भाषा के रूप में भव्य स्वीकृति प्राप्त हुई है। एक दो सूचनाओं से उस तत्व को समझाया जा सकता है स्थाली पुलाक न्याय से, जैसे सारे चावलों के पक्के होने की स्थिति जाहिर होती है एक चावल से।

आज यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि दुनियां के 136 (एक सौ छत्तीस) से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई विधिवत् चल रही है। अब तक दुनियां में सब से ज्यादा बोली-समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरा नम्बर चीनी का और तीसरा अंग्रजी का। (शोधपरक प्रयास से यह प्रमाणित सत्य है) पचास देश के लोग याने 5 हज़ार से 5 लाख तक लोग हिंदी में व्यवहार करते हैं अथवा वे हिंदी समझते हैं और बोलते हैं। उनकी यही मांग है कि भारत सरकार ऐसी जगहों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति करे। हां, इस मांग को मानकर शिक्षकों की नियुक्ति का शुभारम्भ हो चुका है। जून 1885 में मैंचेस्तर विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना हुई है। उसके उद्घाटन के समारोह में मुख्य अतिथि रहे थे प्रसिद्ध हिंदी समर्थक हमारे डॉ० शंकरदयाल सिंह। जून महीने में महामहिम राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा के नेतृत्व में 13 विदेशी राष्ट्रों में एक हिंदी मिशन गया था उसने ट्रिनिडाड, चिली, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे और निमिबिया में भ्रमण किया था। संसदीय राजभाषा समिति के और एक मण्डल ने मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्विटज़रलैण्ड में यात्रा की। यात्रा मण्डल का विचार है कि ये सभी देश हिंदी भाषा के द्वारा भारत से जुड़ना चाहते हैं। हिंदी के प्रति हर देश में आदर है और आत्मीयता है। उन देशों के कतिपय विद्वान यह कहने में संकोच नहीं करते कि जब तक भारत अपनी भाषा को नहीं अपनाता तब तक उसकी गुलाम मानसिकता बनी रहेगी। एशियन ड्रामा नामक अपने ग्रंथ में गुण्डार मिडिल ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब तक भारतीय संसद में बहसें अंग्रेज़ी में होती हैं, तब तक समझ लीजिए कि भारत पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ। इस प्रकार के कटु शब्दों में चिन्तनशील बुद्धिजीवी बोल सकते हैं। लेकिन दासता के घेरे में पड़कर मछलियों की तरह घूमने वाले स्वतन्त्र भारतीय जब आँखें खोलकर देखेंगे तब ही कुछ सच्चाई का मोहक रंग आंखों में पड़ेगा। दासता की यह खामियत, विशाल जलाशय में छोड़ दिये जाने पर भी, याने स्वाधीनता के मधुर वातावरण में रहने पर भी, त्याग देना नहीं चाहते, तो उनकी क्या कहें? अब हम यह देखेंगे

कि भारत सरकार ने हिंदी को स्वावलम्बी बनाने के लिए क्या-क्या नहीं किया। फिर भी हिंदी को कार्यान्वयन की दिशा निर्देशन देने में क्यों चूकती है?

संस्कृत के पश्चात् हिंदी देशीय संस्कृति और देशीय अखण्डता का दायित्व निभाती रही है। स्वाधीनता संग्राम के शुभ परिणाम में हिंदी का कर्तृत्व नगण्य नहीं रहा था। जन-संचार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी यह भाषा। जन-आन्दोलन का स्वरूप निश्चित करने में इसने विलक्षण सेवा अर्पित की। स्वाधीनता के साथ हिंदी के दायित्व का परिवेश विविध आयामों में विकास पा गया। प्रजातन्त्रामक जरूरतों की पूर्ति करना, भावात्मक एकता में वृद्धि लाना, सांस्कृतिक एवं जन-संचार माध्यमों को प्राणान्वित करना आदि स्वाधीन राष्ट्र की चतुर्दिक जरूरतों की पूर्ति करने के यज्ञ को सफल बनाना इस भाषा का दायित्व है। गत पचास वर्षों के दरमियान हिंदी इन ज़रूरतों का कार्य-निर्वहण करती रहती है।

साहित्य संस्कृति का संवाहक है। हिंदी इस दिशा में जो प्रभूत सेवा कर सकी है उसके विशद पठन की अपेक्षा रहती है। स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के पश्चात् भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान में और भारतीय साहित्य को एक सूत्र में लाने की दिशा में हिंदी का महान योगदान रहा है। विविध-भाषा-साहित्यों की माला में हिंदी का स्थान उन्हें जोड़ने वाले सूत्र का है। इस प्रयत्न के द्वारा हिंदी देशीय जीवन और संस्कृति का संरक्षण कर रही है।

स्वतन्त्र भारत में रेडियो का दायित्व सक्षम हो गया है। रेडियो ने भी हिंदी को श्रेष्ठ एवं प्रभावकारी उपादान का दर्जा दिया है और आज विभिन्न भाषाओं वाले प्रान्तों के संयोजन एवं संवरण का प्रयोग हिंदी के माध्यम से ही करा रहा है। हिंदी रेडियो का एक सशक्त माध्यम बनी रहती है। आदान-प्रदान, भारतीय कवि सम्मेलन, पुनरुद्धान प्रयत्नों के प्रसारणों द्वारा रेडियो में हिंदी अपनी क्रान्तिकारी भूमिका अदा कर रही है।

वस्तुतः हिंदी ही इस ठोस माध्यम याने आकाशवाणी के द्वारा 'बहुजन-हिताय, बहुजन सुखाय' के लक्ष्य को चरितार्थ कर रही है। इस प्रकार हिंदी का कर्तृत्व आकाशवाणी में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास के साथ-साथ राष्ट्र-निर्माण की भूमिका भी अदा कर रहा है। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार रेडियो से सम्बन्धित हैं। उनके काव्य, नाटक आदि ऐसी सम्पदा है जो शोधविषय के अन्तर्गत लाई जा सकती है। उन रचनाओं से राष्ट्रीय जागरण का सन्देश मिलता है।

रेडियो की तरह आज दूरदर्शन भी हिंदी को राष्ट्रीय धारा में लाने की दिशा में बहुत आगे आ चुका है। सुना है कि एक जमाने में 'चन्द्रकान्ता' नामक उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी है। लगता है कि वह प्रस्ताव सच है। क्योंकि आजकल 'चन्द्रकान्ता' दूरदर्शन में देखने के लिए लोग इतने उत्सुक हैं कि उन्हें अनायास ही हिंदी आने लगी है। परोक्ष रूप से ही सही दूरदर्शन अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करता है और लोग उसे पढ़ने समझने की ओर उन्मुख हैं। केवल मनोरंजन के कार्यक्रम ही नहीं, अपितु असंख्य जानने योग्य

ज्ञानप्रद कार्यक्रम भी हिंदी के माध्यम से दिखा देता है। वास्तव में आज दूरदर्शन जनसम्पर्क के विषय में शक्तिशाली माध्यम है और उस माध्यम का वास्तविक श्रेय हिंदी को देना है।

जैसा दूरदर्शन और रेडियो का हिंदी साहित्य अनेक शोध-ग्रन्थों के लिए सामग्री दे सकता है उसी प्रकार हिंदी के स्वतन्त्र लेखन की भी ठोस उपलब्धि है। जब से गांधीजी का हिंदी आन्दोलन दक्खिन में जोर पकड़ने लगा था तब से दक्षिण में भी हिंदी में साहित्य रचने का शुभारम्भ हुआ था। भाषा-पठन का विधिवत् प्रारम्भ हुआ था, स्कूल-कालेजों के द्वारा। लगभग सन् उन्नीस सौ तीस से स्कूलों में और उसके तीन चार वर्षों के भीतर कालेजों में हिंदी का अध्ययन जमकर होने लगा। इन्हीं दिनों में सारे दक्षिणी प्रदेशों में हिंदी सम्बन्धी गतिविधि एक जैसी थी। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार-सभा की अनेक शाखाएं खुल गईं और प्रचार सभाओं के अथक परिश्रम से पूरे दक्खिन में हिंदी का नवोन्मेषकारी वातावरण हो चुका था। सन् उन्नीस सौ तीस तक यह वातावरण जोर पकड़ चुका था। अब तक हिंदी पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें विधिवत् बनीं और प्रचार सभाओं द्वारा लाखों की तादाद में हिंदी में उच्च स्तरीय शिक्षार्थी तैयार किए गए। इसके फलस्वरूप दक्खिनी प्रदेशों में हिंदी में साहित्य-निर्माण का भी श्रीगणेश हुआ। दक्खिन में उस समय जो हिंदी पत्रिकाएं निकलती थीं वे ही तत्कालीन साहित्य-प्रेमियों एवं साहित्य-निर्माताओं का अवलम्ब था। आन्ध्र प्रदेश से निकली 'कल्पना', 'मिलाप', 'दक्षिण भारती' 'अंजना' आदि पत्र-पत्रिकाएं आन्ध्र के हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं से सम्पन्न थी। इसी काल में, याने सन् 1936 में आन्ध्र प्रान्त में कुछ नाट्य-मण्डलियों का भी आरम्भ हो चुका था। मछलीपट्टणम में वृन्दावन नाटय, एलूर में हिंदी प्रेमी नाट्य-समाज, चित्तूर में हिंदी नाटय मण्डली, भीमावरम् में हिंदी प्रेम नाटक मण्डली, विजयवाड़ा में हिंदी नाट्य मण्डली आदि उनमें से कुछ हैं। सन् उन्नीस सौ बावन से आन्ध्र प्रदेश के तीनों विश्वविद्यालय में हिंदी में शोधकार्य करने की सुविधा हुई।

प्रचारक विद्यालयों, स्कूली-कालेजीय हिंदी प्रशिक्षण आदि का क्रम कर्नाटक प्रदेश में भी उसी गति से चल रहा था, जो आन्ध्र का था। यहां सन् उन्नीस सौ अड़तीस से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी हिंदी को स्थान मिलने लगा था। सन् उन्नीस सौ चौंसठ के आसपास से कर्नाटक में भी हिंदी में शोधकार्य की सुविधा संभव हुई।

तमिलनाडु में हिंदी प्रचार का आन्दोलन सन् उन्नीस सौ अठारह से होने लगा था। यह गांधी जी के विशेष दृष्टिकोण का परिणाम था। फलतः तमिलनाडु की राजधानी मद्रास के गोखले हाल में पहला हिंदी वर्ग शुरू हुआ। गांधी.जी के सुपुत्र स्वर्गीय देवदास गांधी ने, ऐनीबेसेण्ट, सर सी.पी. रामस्वामी अय्यर, श्री भाष्यम अय्यंगार आदि के नेतृत्व में हिंदी प्रचार कार्य आरम्भ किया था। सन् उन्नीस सौ सैंतीस में राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूलों में हिंदी पठन की व्यवस्था हुई। सन् उन्नीस सौ चौंसठ से तमिलनाडु में हिंदी में उच्च शिक्षा और बाद में शोध-कार्य की सुविधा हुई।

केरल की भी यही गतिविधि रही थी। इस प्रकार पूरे दक्षिण प्रदेशों में हिंदी आन्दोलन के परिणाम स्वरूप हिंदी में साहित्य-सृजन का क्रम भी चारों प्रदेशों में न्यूनाधिक बराबर-बराबर ही चला। बहुत से साहित्यकारों का उदय हुआ, जिनके द्वारा प्रणीत साहित्य प्रभूत मात्रा में आज उपलब्ध है। उनकी उपलब्धियाँ हिंदी साहित्य की देशीय उपलब्धियां हैं। यह हिंदी भाषा और साहित्य की श्रीवृद्धि का उज्ज्वल इतिहास है। भारत भर में आज हिंदी में पन्द्रह हजार शोध उपाधियों का रचना-निर्माण हो पाया है। उनके लिए प्रयोग में आये हुए विषयों में साहित्यिक विषयों के अलावा वैज्ञानिक विषय भी प्रचुर मात्रा में आये हैं। भाषा और साहित्य का बारीकी से पठन हो सका है, अनन्त प्रकारों से, अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ। मेरे पास इस विषय का पूरा प्रमाण उपलब्ध है। इतने से यह प्रमाणित होता है कि एक भाषा के तहत जितनी खूबियां, जितनी क्षमताएं हिंदी ने हासिल की हैं वह राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने में काबिल है। साहित्य की तरह जन संचार की दिशा में पत्र-पत्रिकाओं का दर्जा एक विशाल क्षेत्र का अधिकार रखता है, जो हिंदी के बढ़ते चरण को गति दे सका है।

दक्खिन की हिंदी संस्थाओं के अलावा सारे भारत के हिंदीतर प्रदेशों में भी हिंदी प्रचार सभाओं की स्थापना हुई है। गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बम्बई, हिंदी विद्यापीठ देवघर, बम्बई, हिंदी विद्यापीठ बम्बई, ओडिया राष्ट्र भाषा परिषद्, जगन्नाथ धाम आदि और भी अनेक हिंदी संस्थाओं की स्थापना हुई है। इतनी संस्थाओं के कार्य-व्यापारों का यही परिणाम हुआ कि हिंदी का आन्दोलन क्रान्तिकारी रूप धारण कर सका। वह जन-जन से, ग्राम-ग्राम से सम्पर्क बना सका। समग्र रूप से हिंदी की देश भर में धूम मच गई। सन् उन्नीस सौ चौंसठ में दिल्ली को केन्द्र बनाकर उपर्युक्त प्रान्तीय सभाओं का एक राष्ट्रीय मंच भी रूपाइत हो गया। याने अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के नाम से एक केन्द्रीय सभा बनी। गत सैंतीस वर्षों से यह संस्था प्रान्तीय सभाओं के बीच समन्वय एवं एक सूत्रता लाने में अपनी निष्ठा तथा लगन के साथ प्रयत्नशील रही है। वस्तुत: इन प्रचार सभाओं ने सम्पूर्ण देश में जहां राष्ट्रीयता का आन्दोलन हिंदी के माध्यम से किया वहीं समूचे राष्ट्र को सांस्कृतिक नव-चेतना भी प्रदान की। उनके बहुआयामी कार्यक्रमों ने स्वाधीनता संग्राम की यथासम्भव भूमिका निभाई है।

हिंदी को भारतीय सांस्कृति प्रतिमान की भाषा बनाने का महर्षि दयानन्द सरस्वती और राष्ट्रनायक केशवचन्द्र सेन का शुभारम्भ सार्थक साबित हुआ। आगे राष्ट्रपिता ने स्वाधीनता का संग्राम ठोस रूप से हिंदी को लेकर प्रस्तुत किया और आज साबित हुआ कि हिंदी सब तरह से देशीय कार्य-निर्वहण में सक्षम है। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार की अनेक योजनाओं के बढ़ते चरणों के बावजूद आज भी हिंदी राजभाषा बनने के काबिल नहीं हुई।

सरकार ने हिंदी को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या-क्या नहीं किया? 1960 में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई और उसके कठिन परिश्रम के बल पर सन् 1973 में विभिन्न

विषयों में उच्च-शिक्षा के योग्य एक लाख तीस हजार शब्दों के पारिभाषिक शब्द प्रकाशित हुए। यह प्रयत्न जारी है। विज्ञान के अलावा इंजीनियरिंग, चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी शब्दों के पारिभाषिक कोश तैयार हो रहे हैं। विज्ञान और तकनीक के महत्व को समझते हुए स्वातंत्र्य काल के आरम्भ ही से कौंसिल ऑफ साइंटिफिक तथा इण्डस्ट्रियल रिसर्च के अन्तर्गत अनेक अनुसन्धानशालाओं को आरम्भ किया गया और इस कौंसिल ने विशेषकर अपनी प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों को और विज्ञान के सरल ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए 'विज्ञान प्रगति' नामक मासिक का शुभारम्भ सन् 1954 में किया था। विज्ञान परिषद् प्रयाग द्वारा 'अनुसन्धान पत्रिका' का प्रकाशन और राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी द्वारा 'रसायन समीक्षा' नामक पत्रिका आदि प्रकाशनों ने यह प्रमाणित कर दिखाया कि क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय का अधुनातन ज्ञान हिंदी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। चीन और सोवियत संघ में उच्चतम स्तर के सब काम अपनी भाषाओं में होते हैं। सन् 1982 में चीन से लौटे हुए हमारे वैज्ञानिकों का प्रतिवेदन था कि चीन के वैज्ञानिकों के अधिकांश अनुसन्धान लेख चीनी भाषा में छपते हैं। रूस की सोलह भाषाओं में शब्दावली आयोग का कार्य चलता है और अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में छपे अनुसन्धान लेखों का अनुवाद किया जाता है। जापान में भी अपनी भाषा को प्रमुखता दी जाती है और वे भी वैज्ञानिक मण्डलों में पिछड़े नहीं रह गए हैं। लेकिन, हम अपनी पुरानी टेक पर अड़े हुए हैं कि विज्ञान जानना है तो अंग्रेजी ही एकमात्र आश्रय है।

गत चार पांच दशकों में विज्ञान के क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग सफलतापूर्वक हो सका है। भौतिक तथा जैविक विज्ञानों के मुख्य विषयों और उनकी प्रमुख शाखाओं के लिए स्नातकोत्तर स्तर का साहित्य लिखा जा चुका है, हालांकि विद्यार्थियों का विदेशी नौकरी के प्रति प्रलोभन से विरोध हुआ है।

यह देखने में आया है कि सन् उन्नीस सौ पचहत्तर से कम्प्यूटर पर आधारित हिंदी पाठ्यक्रम का विकास कर पाना सम्भव हो सका है। डॉ० तेज के० भाटिया के एक लेख से मालूम हो सका कि 'व्यापक आधार पर अत्यन्त विशिष्ट प्रदान करने के प्रयत्न में शिक्षा-शास्त्री उत्तरोत्तर प्रौद्योगिकी की ओर अभिमुख हो रहे हैं। डॉ० तेज ने, इस दिशा में प्रोत्साहन देने के कारण कुछ विदेशी प्रोफेसरों को, जैसे प्रो. ब्रज बी. काचरू एवं प्रो. यमुना काचरु, राबर्ट कीर्नी, विलियम रिट्शी आदि को कृतज्ञता ज्ञापित की है। आज हमारे मन्त्रालयों के अनेक विभागों में कम्प्यूटर का उपयोग साधारण सा हो गया है। कम्प्यूटर, टंकण तथा दूरमुद्रण जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयोगों के कारण हमारे देश में भी सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सभी पक्ष सभ्य देशों की तरह प्रभावित हो चुके हैं। आधुनिक भारत में हिंदी के माध्यम से विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। देवनागरी द्वारा टंकण, दूरमुद्रण (टेलीप्रिण्टर) और कम्प्यूटर का प्रयोग सुचारू रूप से हो रहा है। इसमें काफी प्रगति हो चुकी है। सूचना-क्रान्ति के प्रमुख उपादानों ने भारतीय भाषाओं को विशेषकर हिंदी को प्रयोगक्षम बनाया है।'

यहां मैं हिंदी के सच्चे समर्थक और कई मन्त्रालयों के सह-सलाहकार होने के नाते श्री हरिबाबू कंसल के अभिमत को दुहरा रहा हूं—'हिंदी एक विकसित तथा समर्थ भाषा है, जिसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्भव है। किन्तु स्थिति पूर्णतः सन्तोषजनक नहीं है। प्रगति इससे अधिक हो सकती थी तथा होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व है। वह इसलिए नहीं की हिंदी दुर्बल है अपितु इसलिए कि भारतवासियों को अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था तथा उन्होंने इन क्षेत्रों में हिंदी अपनाने का निश्चय दृढ़तापूर्वक नहीं किया।'

आज अधिकतर मंत्रालयों का आंकड़ा यह सूचित करता है कि हिंदी की प्रगति अस्सी से नब्बे प्रतिशत तक बढ़ी है। धारा तीन के तहत भी कर्मचारी काम चलाऊ ज्ञान हिंदी में काफी तादाद तक कर चुके हैं। पर उन्हें कार्यान्वयन का अवसर नहीं दिया जाता। स्वातंत्र्यप्राप्ति के पचपन वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। अब तक हिंदी के प्रयोग में सरकार आंखें मूंदे बैठी है। आज हिंदी की ताकत नाना क्षेत्रों में प्रयोगक्षम है। मैंने भारी उद्योग मंत्रालय की मंत्री से पिछली एक बैठक में कहा था कि मंत्रालय को अब हिंदी के कार्यान्वयन में विलम्ब लाना नहीं चाहिए। मंत्री महोदया ने मेरा अनुमोदन करते हुए इंगित किया कि कार्यान्वयन का कार्य सीधे मंत्रालय को उठाना नहीं है। उसे प्रयोग में लाने का निर्देशन राजभाषा विभाग ही दे सकता है। आप उस विभाग को यह सुझाव दें, उन्होंने यह निर्देशन मुझे दिया। मैं सलाहकार मनोनीत हुआ राजभाषा विभाग द्वारा। इसलिए उस विभाग के उच्च अधिकारियों को भी मैंने लिखा है। मैंने यह सुझाव भी दिया था कि जून 1995 को महामहिम राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा जी के नेतृत्व में विदेश के 13 राष्ट्रों में जो हिंदी मिशन गया था उनकी यात्रा के फलस्वरूप हिंदी की कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति बना ली है तो उससे अवगत करा दें।

हमारे प्रधानमंत्री जी अटलबिहारी वाजपेयी ने मंत्रालयों को पिछले वर्ष में चार सुझाव दिए : (सुना है कि वे विदेशों में हिंदी में अपने भाषण देते हैं। अति उत्तम है):

1. ''शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों में तथा सचिवों की समिति की बैठकों में विचार-विमर्श और कार्रवाई हिंदी में करने को उत्तरोत्तर प्रोत्साहित किया जाए।

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का (जिसके तहत कुछ कागज़ात साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए जाने अनिवार्य हैं) तथा नियम 5 का (जिसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है) अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन प्रावधानों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श दिया जाए कि वे भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचें।

3. राजभाषा हिंदी में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उनके सराहनीय कार्य का उल्लेख किया जाए।

4. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर जहां कहीं संभव हो आप और आपके सहयोगीगण अपने भाषण हिंदी में दें। विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों द्वारा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। आवश्यकतानुसार भारतीय दूतावास के माध्यम से दुभाषी सेवा ली जा सकती हैं।''

मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय हिंदी के कार्यान्वयन पर ध्यान देता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री पर ही अब आशा की जा सकती है। लगता है कि सभी मंत्रालय उनके निर्देशों-आदेशों का निर्वहण करने की ओर उन्मुख हैं। फिर भी मुझे सन्देह होता है कि उपर्युक्त चार सुझावों का ही पालन मंत्रालय करते हैं। उनमें कोई नई दिशा की ओर इंगित नहीं हुआ है। उसके अलावा उनके दूसरे सुझाव [राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का (जिसके तहत कुछ कागजात साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए जाने अनिवार्य हैं)] पर बड़ी व्यथा महसूस हो रही है। तात्पर्य यह है कि इस देश के भाग्य में से अंग्रेजी की शिरोरेखा का विलोपन नहीं होने वाला है।

अन्त में मुझे यही कहना है कि यदि हम आगे भी हिंदी का प्रयोग याने हिंदी में कार्यान्वयन करने में विलम्ब लाएंगे तो, यह देश के गौरव और इज्जत को और देशीय अस्मिता को क्षति पहुंचाएगा। यह देशहित कभी नहीं होगा। आखिर हम चाहते हैं कि देश की एकता बनी रहे, देश की संस्कृति को क्षति न पहुंचे। अफसोस की बात है कि नई संयुक्त सरकार की नीति में हिंदी के बारे में कोई सूचना तक नहीं दी गई है। मैंने कतिपय ऐसे मंत्रियों को इस पर शेकायत लिख भेजी है, जिन्होंने सन् उन्नीस सौ तिरानवे में इन्दौर में चले अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन में भाग लेकर भाषण दिए थे। वहां तीन दिनों के सम्मेलनों में प्रथम दिन के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज़ेलसिंह थे। दूसरे दिन में मुझे ही अध्यक्षता ग्रहण करनी थी। अस्वस्थ होने के कारण मैंने अपना भाषण लिख भेजा, उपस्थित नहीं हो सका था। उसी सभा में उपस्थित कतिपय प्रभावी व्यक्ति आज संयुक्त सरकार के केबिनेट मंत्री हैं। मेरे कहने का यही मतलब है कि सरकार की नीति को देश हित में बदलना है। यदि ऐन मौके पर कुछ न किया तो, फिर पछताना पड़ेगा। जिस महान उद्देश्य से महर्षि दयानन्द सरस्वती, केशव चन्द्र सेन, महात्मा गान्धी, विनोबा भावे जैसे दूरदर्शी महान व्यक्तियों ने हिंदी का आसन अलंकृत कर रखा था उस पर उसे बिठाना ही उचित होगा।

अध्यक्ष, केरल हिंदी साहित्य अकादमी, लक्ष्मी नगर, पट्टम पालस पोस्ट, तिरुवनन्तपुरम-695004

—नारी सौन्दर्य का अनुपम चितेरा : अनातोली ज्वेरेव

—डॉ० विभा शुक्ला

सोवियत संघ के साम्यवादी शासनकाल में विज्ञान के क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई, कला का उतना ही पतन हुआ। आज हम अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रान्स, जर्मनी आदि पश्चिमी देशों की कलाओं की हृदय से प्रशंसा करते हैं और उन्हें सराहते हैं, किन्तु साम्यवादी देशों को छोड़ कर विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, जहां के लोग सोवियत संघ की कलाओं में रुचि रखते हों। इसका अर्थ यह नहीं है कि सोवियत संघ में कलाकार नहीं हैं या सोवियत कलाकारों में प्रतिभा का अभाव है, बल्कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासनकाल में एक लम्बे समय तक कलाकारों की इतनी उपेक्षा की गई कि वे विश्व रंगमंच पर अपना कोई स्थान नहीं बना सके। महान चित्रकार अनातोली ज्वेरेव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। अनातोली ज्वेरेव का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि उन्हें अपना अधिकांश जीवन एक मजदूर के रूप में व्यतीत करना पड़ा। उनके चित्रों की तीस से अधिक प्रदर्शनियां अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रान्स, इटली, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैण्ड, डेनमार्क आदि देशों की बड़ी-बड़ी कला वीथियों में लगाई जा चुकी हैं, किन्तु उनके जीवन काल में उनके अपने देश में एक भी प्रदर्शनी नहीं लगी।

अनातोली इतने महान कलाकार थे कि विश्वविख्यात चित्रकार पिकासो तक उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे तथा उन्हें प्रणाम करते थे। अपनी विलक्षण कला से विश्व को नई दिशा देने वाले बीसवीं सदी के सर्वोत्तम कलाकार अनातोली ज्वेरेव की जीवन गाथा भी उनकी कला से कम विलक्षण नहीं है।

अनातोली ज्वेरेव का जन्म सन् 1931 में मास्को के एक साधारण परिवार में हुआ था। आरम्भ से ही उनका जीवन अत्यन्त अव्यवस्थित और अनियंत्रित रहा। वह बचपन से ही घुमन्तू प्रकृति के थे और एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते थे।

अनातोली को बचपन में चित्रकला से कोई लगाव नहीं था और न ही उनकी इच्छा एक चित्रकार बनने की थी। वह कभी-कभी अपने एक मित्र से घोड़े और फॉदर का चित्र बनाने का आग्रह करते थे, जिसे उनका सहृदय मित्र हमेशा पूरा कर देता था। ये चित्र बड़े सामान्य होते थे, किन्तु अनातोली को बहुत अच्छे लगते थे। अनातोली भी कभी-कभी शाखाओं के बीच से झांकते हुए वृक्षों के चित्र बना लिया करते थे, किन्तु ये चित्र भी उनके मित्र द्वारा बनाए गए चित्रों के समान सामान्य ही होते थे।

एक बार गर्मियों की छुट्टियों में अनातोली पायनियर शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अचानक उनके मस्तिष्क में न जाने क्या विचार आया कि उन्होंने एक कागज पर खूबसूरत सा चित्र बनाया और उसे शीर्षक दिया 'द ट्री रोज'। इस चित्र को उनके एक अध्यापक ने देखा तो देखता ही रह गया। इस चित्र में अनातोली के भीतर छिपी प्रतिभा साफ दिखाई दे रही थी। अनातोली स्वयं भी यह मानते थे कि वह उनकी पसन्द का पहला चित्र था। इस समय अनातोली की आयु केवल दस वर्ष थी।

इसी समय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया और अनातोली को अपना प्रशिक्षण अधूरा छोड़ कर अपने परिवार के साथ मास्को से बाहर जाना पड़ा।

युद्ध समाप्त होने के बाद अनातोली मास्को लौट आए और पन्द्रह वर्ष की आयु तक मास्को में ही इधर-उधर भटकते रहे। अन्त में बहुत प्रयास करने पर स्थानीय पायोनियर केन्द्र में उन्हें 'बोइलर ब्वाय' की नौकरी मिल गई। इस समय तक उनके भीतर की कलाकार आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। उन्होंने कागजों और कपड़ों पर चित्र बनाने के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की लकड़ियों और धातुओं पर भी चित्र उकेरे। ये चित्र उन्होंने दो पार्कों के सौन्दर्यीकरण के लिए बनाए थे।

एक बार जापानी पर्यटकों का एक दल मास्को के पार्कों का भ्रमण कर रहा था। जापानी पर्यटक घूमते-घामते उस पार्क में आ पहुंचे, जहां अनातोली कार्य कर रहे थे। सभी पर्यटक पार्क की दीवारों पर बने हुए चित्रों को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अचानक एक जापानी महिला की दृष्टि फटे-पुराने कपड़ों में लिपटे अनातोली पर पड़ी। अनातोली एक दीवार पर चित्र बना रहे थे। जापानी महिला को बड़ा अजीब सा लगा। वह अनातोली के निकट पहुंची और उसने अनातोली से उनकी कला और आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित अनेक प्रश्न किए। अनातोली ने सभी प्रश्नों का बेझिझक और स्पष्ट उत्तर दिया। उनकी बातें सुन कर दूसरे जापानी पर्यटक भी उनके निकट आ गए। कुछ समय बाद जापानी पर्यटक तो चले गए, किन्तु उनके कारण अनातोली को नौकरी से निकाल दिया गया। उस समय किसी भी सोवियत नागरिक का विदेशी नागरिकों से अंतरंग बातचीत करना अत्यन्त गम्भीर अपराध समझा जाता था।

अनातोली के पास अब कोई काम नहीं था। वह कुछ समय तक इधर-उधर खाली घूमते रहे। अचानक एक दिन उनके मन में चित्रकला सम्बन्धी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का विचार आया। उनमें प्रतिभा तो थी ही। अतः इसके लिए उन्हें अधिक भटकना नहीं पड़ा और शीघ्र ही मास्को के एक तकनीकी विद्यालय में उन्हें प्रवेश मिल गया। यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। इसी मध्य उन्हें मास्को की विख्यात आर्ट गैलरीज़ तथा आर्ट स्टूडियोज देखने को मिले। तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ दिन के लिए उन्हें मास्को आर्ट कॉलेज में भी रखा गया। यहां अनातोली को चित्रकला की बारीकियों को निकट से देखने और समझने का अवसर

मिला, किन्तु पहले ही वर्ष में साधारण सी बांत पर शिक्षकों से अनबन हो जाने के कारण उन्हें निकाल दिया गया।

अनातोली एक बार फिर कष्टों में उलझ गए। इस बार उन्हें काफी समय तक न कोई काम मिला और न ही किसी कॉलेज में प्रवेश। वह बहुत चाहते हुए भी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री नहीं ले सके। अनातोली धुमन्तू जीवन के आदी हो चुके थे, लेकिन आखिर बेरोजगार रह कर कब तक दिन बिताए जा सकते थे? उनकी आयु भी अब सत्ताइस को पार कर चुकी थी। अन्त में अनातोली को अपने हालात से समझौता करना पड़ा और उन्होंने बच्चों के लिए खेल के मैदान व पार्क बनाने वाली एक कम्पनी में नौकरी कर ली। यहाँ उन्हें मजदूर की तरह भर्ती किया गया था। कुछ दिन बाद जब कम्पनी के अधिकारियों को मालूम हुआ कि अनातोली चित्रकार हैं तो उन्होंने उन्हें पार्क की दीवारों को रंगीन चित्रों से सजाने का काम दे दिया, किन्तु इससे अनातोली की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। वह पहले भी एक पार्क में इसी तरह का काम कर चुके थे।

एक दिन अनातोली मास्को के साकोल्निकी पार्क की दीवारों पर चित्र बनाने के लिये रंग तैयार कर रहे थे। उनके बदन पर मजदूरों वाले फटे कपड़े थे—भेड़ की खाल का एक पुराना कोट और मटमैली सी पैन्ट, उनके जूते किसी फौजी अफसर के दिए हुए लगते थे—एक काला पुराना घिसा हुआ और दूसरा दूसरे रंग का, अपेक्षाकृत कुछ ठीक-ठाक हालत में। किन्तु अनातोली को अपनी वेशभूषा की कोई चिन्ता नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्होंने सबसे पहले दो बड़ी-बड़ी बाल्टियों में, घरों में सफाई करने वाली साधारण झाड़ू से रंग घोला और फिर उसी झाड़ू से दीवार पर चित्र बनाने लगे। पन्द्रह-बीस मिनट के भीतर ही दीवार पर वृक्षों की टहनियों पर बैठे हुए पक्षियों के अनेक सुन्दर चित्र उभर आए। सभी चित्र अद्वितीय थे।

अनातोली अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें अपने आसपास की कीई खबर नहीं थी। एक दीवार के चित्र पूरे करने के बाद वह दूसरी दीवार के पास आ गये।

अनातोली से कुछ ही दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति उनकी कला को बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति बाल्टियों में रंग घोल कर झाड़ू जैसी चीज से मिनिटों में इतने आकर्षक चित्र बना सकता है, जितने कि बड़े-बड़े चित्रकार कीमती रंगों और ब्रशों से भी नहीं बना सकते। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मास्को के सुप्रसिद्ध रंगमंच कलाकार वालेरी रूमनेव थे।

रूमनेव बड़ी देर तक अनातोली के बनाए हुए चित्रों को चकित से निहारते रहे। फिर उन्होंने अनातोली के पास जा कर अपना परिचय दिया और उनसे ढ़ेरसारी बातें की।

रूमनेव को अनातोली की स्थिति देख कर बड़ा दुख हुआ। इसके साथ ही उन्हें इस बात पर आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी महान प्रतिभा पर सोवियत अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया?

रूमनेव अनातोली को अपने साथ ले गए। उन्होंने अनातोली को मास्को के प्रख्यात कलाकारों से मिलवाया तथा उनके लिए खाने-पीने, रहने आदि की व्यवस्था की। वह चाहते थे कि अनातोली उनके साथ रह कर उच्च स्तर के चित्रों का निर्माण करें। अत: वह बहुत से रंग ब्रश आदि खरीद लाए। अनातोली को जीवन में पहले बार अपनी कला को उच्च स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला। उन्होंने कुछ ही महीनों में चित्रों के ढेर लगा दिए। उनके सभी चित्र अत्यन्त सुन्दर एवं अद्वितीय थे। इन चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये न तो किसी की नकल थे और न ही अनातोली ने इनकी प्रेरणा प्रकृति से ली थी, बल्कि इन चित्रों में अनातोली की विलक्षण कल्पना साकार हुई थी। रूमनेव ने अनातोली के चित्रों को बिकवाने में भी बड़ी सहायता की और इस तरह ऐसा मालूम पड़ने लगा कि अनातोली के बुरे दिन समाप्त हो गये हैं, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही और अनातोली रूमनेव का साथ छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले गए।

अनातोली का व्यक्तित्व अत्यन्त विद्रोही तथा स्वभाव खानाबदोशों जैसा था। एक जगह टिक कर रहना तो उनकी नियति ही नहीं थी। यही कारण था कि जीवन के अन्तिम समय तक उन्हें कष्ट ही कष्ट सहन करने पड़े। सामान्यतया वह इधर-उधर विक्षिप्त जैसे घूमते रहते थे और जब उन्हें धन की आवश्यकता होती तो एक ही दिन में दो-तीन दर्जन चित्र बना डालते तथा उन्हें तीन-चार रूबल प्रति चित्र के हिसाब से बेच देते। उन्हें न तो अपने बनाए हुए चित्रों से मोह था और न ही धन से। कभी-कभी तो वह अपने प्रशंसकों को अपने चित्र मुफ्त में दे दिया करते थे। अनातोली के इन गुणों के कारण लोग उन्हें पागल समझते थे। अनेक बार पुलिस वालों ने उन्हें पागल खाने में बन्द करने की धमकियां दीं तथा उनके साथ मारपीट की। एक बार तो उन्हें पशुओं के समान इतना पीटा गया कि उनके बाएं हाथ की सभी उंगलियाँ टूट गईं।

अनातोली कितने महान कलाकार थे, विश्व के कलाकारों को इसकी झलक सन् 1957 में मास्को के गोर्की पार्क में आयोजित 'युवा उत्सव' में देखने को मिली। इस उत्सव में चित्रकारों की एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। जिसमें इंग्लैड, अमेरिका, फ्रान्स, ज़र्मनी, जापान आदि देशों के प्रख्यात चित्रकार आमंत्रित किए गए थे। पूर्वनिर्धारित समय पर कार्यशाला का शुभारम्भ हुआ। पाश्चात्य देशों के चित्रकारों को इस बात का पूरा विश्वास था कि वे अपनी कला से सोवियत चित्रकारों को चमत्कृत कर देंगे। वास्तव में उनका उद्देश्य सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था का उपहास उड़ाना था और इसके लिए वे पूरी तरह तैयार होकर आए थे। कार्यशाला आरम्भ होते ही पाश्चात्य चित्रकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी आरम्भ कर दिया। उन्होंने इतने प्रभावशाली तथा लाजवाब चित्र बनाए कि सोवियत चित्रकार किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो कर रह गए। उन्हें पाश्चात्य चित्रकारों से इतनी तीव्र गति की आशा न थी। प्रतियोगिता का परिणाम पूरी तरह पाश्चात्य चित्रकारों के पक्ष में जा रहा था।

तभी अचानक एक विचित्र सा दिखने वाला युवक आ पहुंचा। उसके दोनों हाथों में रंगों से भरी दो बाल्टियां थीं, जिन्हें वह पास के एक ऐसे मकान से चुरा कर लाया था, जहां रंगाई-पुताई का काम हो रहा था। युवक के कंधे पर एक झाड़ू भी लटक रही थी। उसने आते ही इतना विशाल 'फलक' बिछाया कि पूरा कमरा ढक गया। अब उसने दोनों बाल्टियों का रंग फलक पर उड़ेला और फैले हुए रंगों के बीच में कूद-कूद कर झाड़ू चलाने लगा। इस पूरे कार्य में उसे कठिनाई से एक मिनिट का समय लगा होगा। अपना काम पूरा करने के बाद वह जिस तरह तेज़ी से आया था, उसी तरह लौट गया।

सभी उपस्थित चित्रकार आश्चर्यचकित थे। उनकी समझा में नहीं आ रहा था कि युवक कौन था? क्यों आया था? और क्यों लौट गया? वे उसे पागल समझ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि 'फलक' पर पड़ी उन्होंने जो कुछ भी देखा तो देखते ही रह गए। फलक पर एक नारी का चित्र बना था जो भाव प्रवणता एवं तकनीकी सूक्ष्मता की दृष्टि से अद्‌भुत था।

यह युवक और कोई नहीं, अनातोली थे।

अनातोली के जीवन के समान ही उनकी कला भी अनुपम थी। वह तेल, पानी पोस्टर सभी प्रकार के रंगों से एक जैसे चित्र बनाते थे। चित्रकला उनके रोम-रोम में बस गई थी। घर की दीवारें, फर्श, दरवाजे और यहाँ तक कि उनके कपड़ों और बिस्तरों पर भी उनके द्वारा बनाए गये चित्र मौजूद रहते थे। ये चित्र वह कभी टूथ पेस्ट करने वाले ब्रश से बनाते थे तो कभी चाकू, चम्मच, और हाथों की उंगलियों से।

अनातोली का अन्तिम समय बड़े दुखों और परेशानियों में बीता। उन्होंने पचास वर्ष की आयु में,इतनी अधिक शराब पीनी आरम्भ कर दी कि इसके कारण उन्हें कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा। 9 दिसम्बर, 1986 को इस विलक्षण चित्रकार का हृदयगति रुक जाने के कारण देहान्त हो गया।

अनातोली के महत्व को उनके मरने के बाद समझा गया। उनके जीवन काल में तो उनके अपने ही देश में उनके चित्रों की एक भी प्रदर्शनी नहीं लगाई गई, लेकिन मरने के बाद अभी तक तीस से अधिक प्रदर्शनियां लगाई जा चुकी हैं। ये सभी प्रदर्शनियां अत्यन्त सफल रही हैं।

---

100 पंचशील नगर, सिविल लाइन्स, दतिया (म.प्र.)

लोकनायक जय प्रकाश नारायण : अनूठे स्वतंत्रता सेनानी

—हरिकृष्ण निगम

लोकनायक जय प्रकाश नारायण का सारा जीवन उत्तेजक मोड़ों से भरा था और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्षणों के वे एक ऐसे साक्षी थे जिनकी निजी राजतीतिक महत्वाकांक्षा कभी भी उनके चुने दायित्व में बाधा नहीं बनी। तत्कालीन राजनीति और देश के सामाजिक जीवन पर उनके आदर्शवादी प्रभाव का आकलन करना आज दशकों के अन्तराल के बाद भी एक सरल कार्य नहीं है। विशेष कर इसलिए कि उनकी दृष्टि लीक और परम्पराओं से हटकर थी और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब लगता है कि वे अपने समय से बहुत आगे थे और जनाधार की सही तलाश ही उनकी राजनीतिक गतिविधियों का निर्णायक मानदण्ड थी।

श्री जय प्रकाश नारायण जी ने भारतीय समाज के लिए बहुत कुछ किया लेकिन सार्वजनिक जीवन में जिन मूल्यों की तलाश की वे बहुत हद तक देश की राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि ये मूल्य खुद राजनीति के तत्कालीन ढांचे को चुनौती देते और तोड़ते थे। यदि हम साठ और सत्तर के दशक के देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो पायेंगे कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को अपने पार्टी के हित से जोड़ कर देखने के आदी थे। इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। वे बराबर इस बात का प्रयास करते थे कि प्रतिस्पर्द्धी पार्टियाँ राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी अपने विचार प्रकट करने में आगे न निकल जाएं। अगर ऐसे प्रश्नों पर विभिन्न मान्य राजनैतिक पार्टियाँ विचार-विमर्श के द्वारा एक मत हो कर सोचतीं तो राष्ट्र का आधक कल्याण होता—यद्यपि सभी राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ समान ही थीं। श्री जय प्रकाश नारायण खुद को सत्ता लोलुपता से दूर रखकर देशहित में सहमति की तलाश करते रहे और यही एक देश भक्त की त्रासदी भी रही थी। वे सत्य की अभिव्यक्ति में रहे, पर शायद कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे। वे निस्संदेह राजनीति के आचार्य रहे पर व्यवहार कुशल नहीं। वे समय से पहले पैदा होकर देश की राजनीति के भावी घटना क्रम को अपने अन्तर्चक्षुओं से देख सकते थे। जहां तक जयप्रकाश जी पहुंच चुके थे वहां तक जाने-समझने की शक्ति तब देश में तैयार नहीं थी और यही कारण है कि वे बहुधा विवादास्पद चरित्र रहे थे।

महात्मा गांधी जय प्रकाश नारायण के साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। हजारी बाग जेल से निकलकर स्वतंत्रता के लिए भूमिगत होकर आन्दोलन चलाने की महात्मा गांधी ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी। प्रशासन ने उनको पकड़ने के लिए उस समय 'दस हजार' रुपये के पुरस्कार की घोषणा थी। उस समय गांधी जी ने उनकी वीरता को आदर्श मानते हुए यह भी कहा

था यदि मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहूंगा तो वह सच में उनकी सत्याग्रही पत्नी प्रभावती जी को देना होगा जो उस कड़े समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थीं। विद्यार्थी के रूप में जयप्रकाश जी ने सात वर्ष अमेरिका में बिताये थे। उस समय उनकी पत्नी प्रभावती जी गांधी जी के आश्रम में रहती थीं। उस समय इन्दिरा गांधी भी काफ़ी समय उसी आश्रम में बिता रहीं थीं। शायद इसी संयोग के कारण जय प्रकाश जी इन्दिरा गांधी को, विरोधों के बावजूद अपनी लड़की जैसा मानते थे।

स्वतंत्रता की लड़ाई का जय प्रकाश जी का नजरिया गांधी जी से भिन्न था। शायद इसका कारण लम्बे समय तक भूमिगत होकर उनके कार्य करने की शैली थी। हजारी बाग जेल से निकल भागने का प्रकरण काफी चर्चित था और वे युवकों के हृदय के सम्राट बन चुके थे। जय प्रकाश जी अत्यन्त भावुक थे। ऐसा व्यक्ति बहुदा सफल राजनीतिज्ञ नहीं होता है क्योंकि वह एक ओर अपने विश्वासों और प्रतिबद्धता से और दूसरी ओर उन मित्रों से जो उसका विरोध करते हैं नहीं जानता है कैसे लड़े। स्वतंत्रता के बाद आमंत्रित किए जाने पर भी वे सरकार का हिस्सा कभी नहीं बन सके। उनके मन में यह घर कर गया था कि अनेक नेता सामान्य व्यक्ति के लिए किए गए वादों को न निभा पाएंगे। एक उदाहरण काफ़ी मशहूर था जब जय प्रकाश जी ने केन्द्रीय मंत्रियों को सलाह दी कि वे दो कमरों के मकान में रहें। उनका तात्पर्य था कि वे सब देश की गरीबी को देखते हुए सादा जीवन बिताएं और जिससे साधारण व्यक्ति और उसकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं से वे दूरी न बनावें। लोगों ने इस बात को कोई महत्व न दिया। पचास के दशक में ही जयप्रकाश जी को लगने लगा कि सरकार अपना आदर्श खोने लगी है और सत्ता में बैठे लोगों को उनके विचारों से कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि उन्होंने एक नए दल की स्थापना की पर वे इतने शालीन थे कि अपने पहले के सहयोगियों एवं मित्रों की खुलकर आलोचना करने या कड़े शब्दों का प्रयोग करने में भी वे झिझकते थे। यद्यपि वे साठ के दशक के शुरू से ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे पर समाजवादी आन्दोलन से जुड़े लोगों के मन में उनके प्रति कभी भी आकर्षण कम नहीं हुआ था। निधन के पहले तक डा. राममनोहर लोहिया भी जय प्रकाश जी से बातचीत करते रहते थे। वैसे जय प्रकाश जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते थे पर उनके इस दल से सम्बन्ध इतने आत्मीय थे कि उन्हें पार्टी का 'विवेक रक्षक' भी कहा जाता था।

जय प्रकाश जी विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन से भी जुड़ गए थे क्योंकि वे राजनीति में घुटन महसूस करते थे। वे विनोबा के भूदान आन्दोलन और सर्वोदय व अन्त्योदय की विचार धारा से भी काफी प्रभावित थे। सन् 1966 में बिहार के अकाल में अनेक लोगों को साथ लेकर भूख से मर रहे लोगों के लिए वे स्वयं रसोई तक चलवा चुके थे। कोई भी छोटा काम उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता था जितना कोई गम्भीर विचार मंच से व्यक्त करना।

जय प्रकाश जी की राजनीति कसौटी उनके नागा समस्या पर उन्मुक्त विचार तथा उनके कश्मीर समस्या के सम्भावित हल में शेख अब्दुल्ला की भूमिका से जुड़ी थी। इसके लिए उनके

दृष्टिकोण पर प्रश्नचिह्न लगाने की कोशिश भी की गई थी पर समय ने उनके प्रयत्नों की पारदर्शिता को सिद्ध कर दिया है । जय प्रकाश ज़ी सदैव महसूस करते थे कि नागालैण्ड के लोगों को भारतीय संघ की मूलधारा में दिल जीत कर स्वत: लाया जा सकता है। माइकेल स्कॉट और दूसरे नागा नेताओं से उनके निजी सम्बन्ध थे और इसलिए वे निस्संकोच भारत सरकार को सलाह देने में पहल करते थे।

जय प्रकाश जी शेख अब्दुल्ला के भी प्रियपात्र थे और मानते थे कि पचास के दशक के शुरू में केन्द्र द्वारा उन्हें जेल में डालना अनुचित था। शेख ने स्वयं लिखा था कि तत्कालीन समय में जय प्रकाश जी अकेले नेता थे जो उन्हें और कश्मीर के लोगों की आवश्यकताओं को समझते थे। कश्मीर के बारे में वे भारत सरकार की ढुलमुल नीति के आलोचक थे। वे महसूस करने लगे थे कि कश्मीर समस्या की जड़ कहीं और थी पर भारत सरकार की नीति का सबसे बड़ा शिकार शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था। जय प्रकाश जी महसूस करते थे कि शेख अब्दुल्ला दूध के धोए नहीं थे और वे नेहरू जी का मयादोहन भी करते थे पर क्यों कि वे अनेक कारणों से कश्मीरी जनता की जिन्दगी से जुड़े थे इसलिए जय प्रकाश जी उनकी निष्ठा पर सन्देह नहीं करते थे। शेख की इसी निष्ठा को ध्यान में रखकर जय प्रकाश ज़ी ने श्री राजगोपालाचारी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री गुरनाम सिंह और श्री सी.डी. देशमुख के साथ मिलकर 1967 में एक बयान देकर सरकार से मांग की थी कि शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगी मिर्जा अफजल बेग को तत्काल रिहा किया जाए और उन्हें एक भारतीय की तरह नागरिक अधिकारों का उपयोग करने दिया जाए। शेख की मुक्ति के लिए जय प्रकाश जी कहते थे की भारतीय संघ के हर नागरिक को बिना मुकदमा चलाए लम्बे अरसे तक नज़रबंद नहीं किया जाना चाहिए। उस समय उनके विचारों को सरकारी नीति के विरोध की तरह प्रस्तुत करते हुए आलोचना की गई थी। पर जय प्रकाश जी ने अपनी दो टूक टिप्पणी में स्पष्ट किया था—शेख अब्दुल्ला से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि अपने जिन विश्वासों के लिए उन्होंने 13 वर्ष नजरबंदी और जेल में गुजारे उन्हें केवल जेल से बाहर आने के लिए छोड़ देने का आश्वासन देने के लिए वे तैयार होंगे। इस तरह का आश्वासन मांगना लोकतंत्र की तमाम मान्यताओं के खिलाफ है।

यद्यपि कश्मीर की समस्या पर जय प्रकाश जी किसी भी तरह भारत सरकार के किसी दावे पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाते थे पर शेख के पक्ष में जो वक्तव्य उन्होंने दिया उससे इन्दिरा गांधी सहित कांग्रेस दल स्पष्ट है रुष्ट था। जय प्रकाश जी ने कहा था— लोकतंत्र में किसी को भी, चाहे उसके राजनैतिक विचार कुछ भी हों, लम्बे अरसे तक अभिव्यक्ति के उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए—विशेषकर ऐसी स्थिति में जब वह व्यक्ति अपने विचारों के लिए भारी से भारी कुरबानी देने को तैयार हो। शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों पर सरकार ने कोई निश्चित आरोप नहीं लगाए हैं, न ही उसमें इतना नैतिक साहस रहा है कि वह प्रकरण की कानून की कसौटी पर रखने के लिए तैयार हो सके।

2849 HA/2002—3A

समय के अन्तराल ने सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस कश्मीर के मुद्दे पर अनिर्णय का शिकार रही थी। जय प्रकाश जी की शेख पर प्रतिबंध हटाने की उस समय की मांग आज ठीक लगती है क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी अपनी आत्मकथा में अपनी मानसिक कथा का जिक्र करते हुए पकिस्तान की चालाकियों की भर्त्सना की थी। शेख भारतीय संविधान के दायरे में काम करने को भी तैयार थे जिसके लिए जय प्रकाश जी उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर चुके थे।

जय प्रकाश जी का यह मानना कि शेख अब्दुल्ला की निष्ठा पाकिस्तान के साथ नहीं थी साक्ष्यों से सिद्ध हो चुकी है। सन् 1967 में जनरल अयूब खां की एक पुस्तक 'स्वामी नहीं, बंधु'—'फ्रेण्ड्स, नॉट मास्टर्स'—प्रकाशित हुई थी जिसमें 1964 में नेहरू जी के आदेश से शेख अब्दुल्ला और अफजल बेग पाकिस्तान गए थे और जनरल अयूब खां से मिले थे। तब शेख ने भारत पाकिस्तान और कश्मीर के महासंघ का प्रस्ताव दिया था। शेख अब्दुल्ला ने अयूब खां को लिखे एक पत्र में भी इस भ्रामक प्रचार को ध्वस्त कर दिया कि वे किसी भी रूप में पाकिस्तान समर्थक थे। वे संविधान के अन्तर्गत सिर्फ कश्मीर की पहचान बनाए रखने का विकल्प खोज रहे थे।

जय प्रकाश जी के जीवन का शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपातकाल के बाद दूसरी आजादी का पुनर्स्थापन था। आपातकाल और उसके प्रारम्भ के दिनों में संघ के कार्यकर्ताओं का श्री जय प्रकाश जी से घनिष्ठ सम्पर्क बन गया था। इससे वामपंथी और कथित प्रगतिशील काफ़ी बेचैन थे। उस समय उन पर आरोप भी लगाए गए थे कि वे फासिस्टों के चक्र में फंसे हुए हैं। जय प्रकाश जी को इससे मानसिक कष्ट हुआ था उनकी प्रतिक्रिया भी काफ़ी रोचक थी। जेल से छूटने और मुम्बई के जसलोक अस्पताल में इलाज के बाद पटना रवाना होने से पहले उनका मुम्बई में सार्वजनिक अभिनंदन किया गया था।

सभा में महाराष्ट्र के अनेक गण्यमान व्यक्ति, श्री एम.सी छागला, एन. जी. गोरे, एस.एस. जोशी, राजमोहन गांधी आदि उपस्थित थे। जय प्रकाश जी ने कहा—गत तीन चार वर्षों में मुझ पर यह गम्भीर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे चारों ओर प्रतिक्रियावादी एकत्र हो गए हैं और मैं साम्प्रदायिक तथा फ़ासिस्ट ताकतों की मुठी में हूं। मैं अपनी अन्तरात्मा को साक्षी बनाकर कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो बुराईयां ढूंढ़ी जाती हैं वह उनसे मुक्त हैं। आपातकाल से पूर्व और आपात् के बीच उन्होंने जो निस्वार्थ सहयोग मुझे दिया है उसकी मैने हृदय से सराहना की है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रहित में जो भी योजनाएं ली जाएं, उनमें से वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। उनके और मेरे प्रति लगाए गए ये आरोप कीचड़ उछालने के निन्दनीय प्रयास के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

आज फिर से समय आ गया है जब लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी के जन्मशती वर्ष में उनकी भूमिका का निष्पक्ष आकलन किया जाए और राजनीतिक दुराग्रहों के कारण फैलाई गई भ्रान्तियों का निवारण किया जाए।

ए-1002, पंचशील हाईट्स सैक्टर 5, महावीर नगर, कान्दिवली (पश्चिम) मुम्बई -400067
दूरभाष : 8070451

2849 HA/2002—3B

कंप्यूटर वाइरस : कारण और निवारण

—डॉ० अमर सिंह वधान

एक स्वाभाविक प्रश्न है कि आप स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या दरवाजे पर लगे बड़े-बड़े और मजबूत ताले आपके घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शायद इसके लिए आपको कुछ निडर और बहादुर आदमियों की आवश्यकता पड़ सकती है। जो आपके दरवाजे पर सुरक्षा प्रहरी की तरह तैनात रहें, रात को अपनी लाठी की आवाज करते हुए, सीटी बजाते हुए या फिर 'जागते रहो' प्रतिध्वनित करते हुए चौकीदार भी घर की सुरक्षा का प्रतीक मान लिया जाता है, एक तेज दातोंवाला खूँखार श्वान तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तस्वीर ही बदलकर रख देगा, जाहिर है कि ये कुछेक ऐसे ठोस कदम हैं, जिन्हें हम अपने घर की सुरक्षा के लिए सतर्कतापूर्ण उठाते हैं।

आइए, जरा 'बिट्स' और 'बाइट्स' की दुनिया में चलें, जहां आपका महँगा एवं संवेदी कंप्यूटर कार्यरत है, दरअसल बिट् शब्द बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, जो द्विआधारी अंक प्रणाली में सूचना की एक बेसिक इकाई है, यह '0' (स्विच ऑफ होने के लिए) या '1' (स्विच ऑन होने के लिए) के रूप में दिखाई जाती है। कई बिटों को समूहबद्ध कर बड़ी इकाइयों को संगृहीत किया जाता है। अधिकांशत: 8 बिट (अर्थात् एक बाइट) का समूह बनाया जाता है। बाइट द्वारा अक्षर, अंक एवं चिह्न आदि सभी जानकारियों को दर्शाया जा सकता है। इसी तरह 'बाइट', जो बाइनरी टर्म का संक्षिप्त रूप है, कंप्यूटर में संग्रहण के लिए द्विआधारी 8 बिटों को संकेत के रूप में संगृहीत करता है। वैसे बाइट संग्रहण की बहुत कम मात्रा दर्शाते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की स्मृति (मेमोरी) क्षमता का वर्णन किलोबाइट, मेगाबाइट एवं गीगाबाइट में लिखकर किया जाता है।

विचारणीय है कि इन बिट्स एवं बाइट्स के परिवेश में आपका लाडला कंप्यूटर कितना सुरक्षित है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इंटरनेट कों तरंगित करते हैं और स्थायी प्रलेखों की रचना एवं सुरक्षा करते हैं तो कंप्यूटर की स्मृति में आपका डाटा भंडारण किस घुसपैठिए द्वारा नष्ट किया जा रहा है। यह घुसपैठिया कोई और नहीं, दरअसल, 'वाइरस' है, जिस प्रकार जैविकीय बाइट्स संदूषित हवा, पानी अथवा भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर वाइरस फ्लॉपी डिस्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ई-मेल अथवा इंटरनेट के द्वारा फैलकर कंप्यूटर को संदूषित करते हैं। मोटे तौर पर वाइरस कंप्यूटर की

जानकारी और उसके संसाधनों पर अनधिकृत कब्जा करने वाला प्रोग्राम है। वाइरस कंप्यूटर पर मौजूद फाइलों से बिना अनुमति छेड़छाड़ करने वाले ऐसे प्रोग्राम होते हैं, जिनमें स्वयं को फाइलों के साथ जुड़ने तथा विषाणु (वाइरस) की भाँति स्वयं को तेजी से द्विगुणित करने एवं अपनी प्रतिलिपि स्वत: बनाने की क्षमता होती है। उल्लेखनीय है कि कुछ वाइरस अत्यंत विनाशकारी होते हैं तथा डिस्क पर उपलब्ध फाइलों को खराब कर देते हैं। कुछ मेधावी प्रोग्रामरों द्वारा लिखे गए वाइरस प्रोग्राम एक बार आने के बाद स्वयं को कंप्यूटर की स्मृति में स्थापित कर लेते हैं। कालान्तर में ये इस्तेमाल की गई फाइलों के साथ जुड़ जाते हैं। कभी-कभी ये फाइल अलोकेशन टेबल या बूट सेक्टर में भी बैठ जाते हैं तथा उस कंप्यूटर पर इस्तेमाल होनेवाली हर फ्लॉपी एवं फाइल को दूषित करते जाते हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं फ्लॉपी तथा फाइलों पर अपना डेरा जमा लेते हैं। कभी-कभी ये किसी विशेष तिथि पर या उसके बाद ही सक्रिय होते हैं। वाइरस की उपस्थिति से कंप्यूटर धीमी गति से कार्य करता है, क्योंकि वाइरस कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा कर लेता है। इसके बचाव के लिए एंटी वाइरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। वाइरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कंप्यूटर को समय-समय पर जांचते रहना चाहिए। साथ ही वाइरस जांचे बिना फ्लॉपी का इस्तेमाल कंप्यूटर पर नहीं करना चाहिए।

निस्संदेह, ये वाइरस एक प्रकार से 'ट्रॉजन हॉर्सेज़' हैं और बेहद हानिकारक कीड़े हैं। हाल ही में साइबर वर्ल्ड के ये पीड़क जन्तु बहुत ही बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के साथ जुड़े कंप्यूटरों को इन्होंने बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई है। जहां प्रोग्रामों को इलेक्ट्रॉनिक हानि पहुंचाने के लिए वाइरस एक सामान्य नाम है, वहीं कई ई-मेल वाइरस भी हैं, जो आजकल बड़े विद्वेषपूर्ण कोड हैं और अपना तमाम काम करते हैं। इन सभी के बड़े विध्वंसकारी प्रभाव हैं। ई-मेल वाइरस हार्ड डिस्क पर डाटा को मिटाने के लिए स्क्रीन पर प्रतिकूल संदेश छोड़ते रहते हैं। ये वाइरस ई-मेल के माध्यम से भी फैलते हैं। आमतौर पर ई-मेल पता पुस्तिका 'विक्टिम' में संगृहीत पतों की मेलिंग स्वचालित करते हैं, जिसका प्रयोक्ता तक को पता ही नहीं चल पाता है। ई-मेल सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा वितरित प्लग-इन्स अथवा पैचेज लगाना चाहिए, यहां बताना जरूरी है कि पैच (Patch) अनुप्रयोग कोई अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिया गया एक प्रोग्राम है। पैच का उपयोग किसी विशेष आदेश या क्रमादेश द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए पूरे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मार्च, 1999 में जो 'मैलिसा' वाइरस फैला था, वह ई-मेल वाइरस ही था, जिसने कंप्यूटर तथा नेटवर्कों को बहुत क्षति पहुंचाई थी।, यह वाइरस ई-मेल के द्वारा भेजे गए शब्दाभिलेखों में फैल गया था। नतीजतन, कई बड़ी कंपनियों को अपने ई-मेल सिस्टम कुछ समय के लिए बंद करने पड़े थे।

वाइरस, सचमुच, 'ट्रॉजन हॉर्सेज़' की तरह हैं, जो देखने में तो हानि पहुंचाने वाले नहीं लगते, क्योंकि वे स्वयं चल भी नहीं सकते। लेकिन जब प्रयोक्ता इनका प्रयोग करता है तो ये

वाइरस हार्ड डिस्क डाटा का बहुत नुकसान करते हैं। 4 मई, 2000 में 'आई लव यू' वाइरस ने भी पता पुस्तिका के कई पतों को क्षतिग्रस्त किया था। इसी तरह वोर्म (Worm) भी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो अपने आपको डिस्क पर कई स्थानों पर शीघ्र कॉपी करता है और अंततः डिस्क को खराब कर देता है। ऐसे प्रोग्राम दुर्भाग्यवश डिस्क को नष्ट करने की नीयत से उस पर डाले जाते हैं। वोर्म एक लघु सॉफ्टवेयर होते हुए भी कंप्यूटर नेटवर्क एवं 'सिक्युरिटी होल्स' अथवा सिस्टम में कमजोर बिन्दुओं का स्वचालन के लिए उपयोग करता है। यह नेटवर्क पर एक अन्य मशीन को खोज लेता है, जिसमें विशिष्ट सिक्युरिटी होल होता है और इसके लिए स्वयं कॉपी करता है। इस तरह वोर्म वहीं से अनुलिपियां तैयार करनी शुरु कर देता है। देखा जाए तो आजकल अधिकतर संदूषण वोर्म के कारण ही है। ये भी इंटरनेट के साथ जुड़े कंप्यूटरों को भारी नुकसान पहँचाते हैं। आश्चर्य नहीं कि 19 जुलाई, 2001 को केवल 9 घंटों के अंदर 'कोड रेड वोर्म' 2,50,000 से अधिक बार स्वयं प्रतिचालित हुआ था। इसी वोर्म ने 'व्हाइट हाऊस' वेब सर्वर पर भी हमला किया था। जब वोर्म अपना काम करता है तो इंटरनेट ट्रैफिक धीमा हो जाता है।

वाइरस से कंप्यूटर का बचाव (Computer Safety from Virus)

कंप्यूटर कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संदूषणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है। प्रश्न है कि इन संदूषणों से कंप्यूटरों का बचाव कैसे किया जाए। कहना जरूरी है कि सुरक्षित सॉफ्टवेयर, जिसे एंटी वाइरस के नाम से भी जाना हाता है, वाइरस के प्रभाव से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। एंटी वाइरस सॉफ्टवेयर, आमतौर पर, सी डी से जुड़े पैकेजों पर उपलब्ध हैं, जो वाइरस के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव अथवा फ्लॉपी डिस्क पर प्रत्येक फाइल को स्कैन करते हैं तथा हानिकार वाइरसों को अलग कर देते हैं। 'स्कैन' एक क्रिया है जिसके द्वारा किसी पाठ, चित्र या बार कोड को कंप्यूटर में पढ़ा जा सकता है। फिर भी, नवीनतम एंटी वाइरस सॉफ्टवेयर लगाने से कंप्यूटर सुरक्षा का कोई पूरा प्रबंध नहीं हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य सावधानियां रखनी भी जरूरी हैं, जिनमें कुछेक निम्नानुसार हैं :—

1. इंटरनेट से अनावश्यक प्रोग्रामों को डाउनलोड न किया जाए और सही सॉफ्टवेयर के प्रति निष्ठावान रहें।
2. संदिग्धमय ई-मेल संदेशों और अज्ञात प्रयोक्ताओं द्वारा भेजे गए संदेशों पर नजर रखें। निष्पादक फाइलों के साथ संदिग्ध सूत्रों से आनेवाले ई-मेल संयाजनों की दोहरी क्लिपिंग या ओपनिंग न की जाए।
3. इंटरनेट संसाधनों का पता लगाते समय प्रायः दिखाई देनेवाली चेतावनियों की जान-बूझकर उपेक्षा न की जाए। उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए और फिर उचित विकल्प को क्लिक किया जाए।

4. अपने पासवर्ड को स्मृति में रखें अथवा उन्हें सुरक्षित स्थान पर संगृहीत करें। उन्हीं पासवर्डों का प्रयोग करें, जिनका प्रत्यक्ष अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस स्थल पर बताना आवश्यक है कि पासवर्ड अर्थात् संकेत शब्द एक सुरक्षा प्रणाली है, जो कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क के प्राधिकृत प्रयोक्ता की पहचान वर्णों, चिह्नों की विशिष्ट श्रृंखला के द्वारा करती है। पासवर्ड का निर्धारण प्रयोक्ता स्वयं करता है। सुरक्षा की दृष्टि से पासवर्ड पाँच वर्णों से अधिक का होना चाहिए, क्योंकि छोटे पासवर्ड का अनुमान ज्यादा आसानी से लगाया जा सकता है। पासवर्ड अक्षरों और अंकों से बनने चाहिएं। पासवर्ड को गोपनीय रखना भी जरूरी है और साथ ही इन्हें निरन्तर बदलते रहना चाहिए। अत: सुरक्षा की दृष्टि से एक से अधिक पासवर्डों का उपयोग किया जाए ताकि अनधिकृत व्यक्तियों से कंप्यूटरों के उपयोग को बचाया जा सके।

5. विभिन्न विंडोज अथवा इंटरनेट अन्वेषक सॉफ्टवेयरों की विधिवत सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। विंडोज़ अनेक कार्य कर सकने वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तथा एम एस डॉस पर भी चल सकता है। विंडोज़, कंप्यूटर पर मानक इंटरेफेस उपलब्ध कराता है। विंडोज़ '95 में फाइलों के नाम 255 कैरेक्टर तक हो सकते हैं तथा इसको चलाने के लिए कम से कम 4 एम बी रैम तथा 80386 से उच्चतर कंप्यूटर (जैसे पेंटियम) होना चाहिए, पेंटियम में कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जैसे कि 8 किलोवाइट अनुदेश कोड, डाटा कैश, फ्लोटिंग प्वाइंट प्रोसेसर का अन्तर्निहित होना और मेमोरी प्रबंधन इकाई, सुपरस्केलर डिजाइन और दोहरी पाइप लाइनिंग, जो पेंटियम को एक से अधिक अनुदेशों के अनुपालन की सुविधा देती हैं। पेंटियम 31 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर 80486 की तुलना में दुगुने से अधिक कार्य कर चकित कर सकता है। यह प्रति सैकेंड 11 करोड़ 20 लाख अनुदेशों का अनुपालन कर सकता है।

6. जिस समय आप कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क डालते हैं, इसके ऊपर वाइरस स्कैन को रन करें। असल में, कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम का निष्पादन करना रन कहलाता है।

7. इंटरनेट को तरंगित करते समय अथवा ई-मेल भेजते समय एंटी सॉफ्टवेयर को सक्रिय करें। लेकिन एंटी वाइरस सॉफ्टवेयर को तीन महीनों में एक बार अपग्रेड भी करते रहना चाहिए। यह कार्य किसी विश्वस्त सॉफ्टवेयर निर्माता से ही कराना चाहिए। अपग्रेड किसी सॉफ्टवेयर का पूर्णतया सुधरा हुआ संशोधित तथा नई सुविधाओं से युक्त संस्करण है। इससे पुराने को नए में बदलने या उसकी क्षमता को बढ़ाने का कार्य लिया जाता है। मिसाल के तौर पर 200 एम बी की डिस्क के स्थान पर 2 जी बी की डिस्क लगाना या पुराने 286 कंप्यूटर को पेंटियम में बदलना आदि।

8 कुछ सिरफिरे एवं अनिधकृत व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो नाजायज तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर अभिलेखों में हेराफेरी कर देते हैं। इसे 'कंप्यूटर अपराध' भी कहा जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि कंप्यूटरों में पासवर्ड प्रणाली गंभीरतापूर्वक लागू की जानी चाहिए ताकि कोई व्यक्ति अन्यान्य जानकारियों में फेर-बदल न कर सके।

9. कई बार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण भी किसी अन्य उपकरण के परिचालन और कार्य-निष्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अत: इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रति भी कंप्यूटर प्रयोक्ता को सतर्क रहना चाहिए।

10. कई बार हार्ड डिस्क हेड एवं तीव्र गति से डिस्क की घूमती हुई चुंबकीय रिकार्डिंग सतह से टकराकर सतह को ही नुकासन पहुंचा देती है। कभी-कभी इससे हेड भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। आबंटित फाइलों के क्षेत्र में हेड का नष्ट होना काफी नुकसान पहुँचा सकता है। अत: इस संदर्भ में हार्ड डिस्क के प्रति संवेदनशील एवं सावधान रहना अत्यावश्यक है।

11. सॉफ्टवेयर पर लगाए गए सॉफ्टवेयर लॉक की समय-समय पर जांच करते रहना चाहिए ताकि कोई अनधिकृत रूप से कॉपी न कर सके। अत: कॉपी सुरक्षण आवश्यक है।

12. कंप्यूटर को डाटा निरर्थकता से भी बचाना चाहिए ताकि कोई असंगति न रहे। लेकिन डाटा प्रचुरता अथवा निरर्थकता को उचित डाटाबेस डिजाइन द्वारा समाप्त या कम भी किया जा सकता है।

13. जब किसी अज्ञात कारणवश कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो कुंजी पटल पर जोर नहीं डालना चाहिए। कंप्यूटर में यह 'हंग' की स्थिति होती है।

14. हैकर अर्थात् कंप्यूटर घुसपैठिए से भी सावधान रहना चाहिए। हैकर कंप्यूटर सम्बन्धी अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग कर अनधिकृत तरीके से अन्य कंप्यूटरों पर अपनी पहुँच प्राप्त करके डाटा तथा प्रोग्रामों को क्षति पहुंचाता है। इस संबंध में तार्किक लॉकिंग युक्ति काम में लाई जा सकती है।

15. परिचालन प्रणाली में लॉग ऑन और पासवर्ड सुरक्षा, खाता सुरक्षा, निर्देशिका सुरक्षा, फाइल एट्रिब्यूट सुरक्षा आदि स्तरों पर भी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

16. सी पी यू में हवा के प्रवेश करने से सूक्ष्म जीवाणु तथा धूल के कण उसके विभिन्न भागों में बैठ जाते हैं। नतीजे के तौर पर सी पी यू का तापमान बढ़ जाता है और

इसका कंप्यूटर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम धूलयुक्त फ्लॉपी का प्रयोग करते हैं तो डिस्क के ऊपरी भाग पर धूल पहुँच जाती है। इससे डिस्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार तो डिस्क खराब भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्लिनिंग डिस्क की सहायता से ड्राईव को साफ कर लेना चाहिए। कंप्यूटर पर कार्य समाप्त होने के बाद कुंजी पटल एवं कंप्यूटर को तुरंत प्लास्टिक कवर से ढक देना चाहिए ताकि उन पर धूल के कण न बैठ सकें।

17. चूंकि कंप्यूटर का पूरा डाटा चुंबकीय गुणधर्म पर आधारित होती है, अत: कंप्यूटर के आसपास चुंबकीय पदार्थों को नहीं लाना चाहिए।

18. मॉनिटर, कुंजी पटल और सी पी यू पर कभी भी पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए।

19. कंप्यूटर को बार-बार चालू-बंद करना, पासवर्ड का प्रयोग सही तरह से न करना, कोई उपकरण बैठाने से पहले सभी प्रोग्राम बंद न रखना आदि क्रियाएँ भी कंप्यूटर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

20. उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर को ज्यादा दिन बंद रखने से मदरबोर्ड के ऊपर की रिचार्जेबल बैटरी डाउन हो जाती है। इससे ने केवल कंप्यूटर की तिथि बदलने का कामकाज रुक जाता है, बल्कि संगृहीत डाटा भी नष्ट हो जाता है। यदि कंप्यूटर समुचित तरीके से बंद नहीं किया गया तो उसे तुरंत फिर चालू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तकरीबन 15 मिनट के बाद ही कंप्यूटर को चालू करें।

सारत: कंप्यूटर की प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा करना प्रयोक्ता का परम दायित्व है। आज वैश्विक स्तर पर मानव समाज का कोई भी हिस्सा कंप्यूटर से अछूता नहीं है। आनेवाले समय में कंप्यूटर प्रत्येक देश के घर-घर में होगा, पारंपरिक प्रणालियां अप्रासंगिक हो जाएंगी, जैवक हस्ताक्षरों और वाणी अभिज्ञान से व्यक्ति की पहचान होगी। अत: अपार सूचना के संग्रहण, भंडारण एवं संप्रेषण के सशक्त माध्यम कंप्यूटर की उचित देखभाल, सुरक्षा एंव सुव्यवस्था अत्यावश्यक है।

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) सिंडिकेट बैंक प्रधान कार्यालय, मणिपाल-576119 (कर्नाटक)

गरीबी का दुष्चक्र और भारतीय अर्थव्यवस्था

—एम० पी० सैनी

गरीबी की धारणा से अभिप्राय: है कि जब किसी देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग अपने जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी न कर सके। 1962 में किए गए एक भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 240 रुपये वार्षिक से कम उपभोग व्यय करने वाले लोग गरीब माने गए थे। योजना आयोग के अनुसार 1960-61 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 24 करोड़ थी जो मार्च 1999 तक बढ़कर 34 करोड़ के पार पहुंच गई थी। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी को इस तरह से पारिभाषित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी मात्रा का भोजन ना प्राप्त कर सकने वाले व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे माने गए हैं। 1960-61 से लेकर मार्च 1999 तक ग्रामीण व शहरी निर्धनता दोनों ही में एक जैसी वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रभावी सफलता ना मिलने के कारण जितने लोगों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया गया उतने ही लोगों की संख्या फिर से गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गई। विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० नर्कसे के अनुसार "एक देश इसलिए निर्धन होता है कि क्योंकि वहां के निवासी ही निर्धन हैं"।

भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र से पिछले 55 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है। आजादी के बाद देश का संतुलित विकास करने के लिए व भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की नीति को प्राथमिकता दी गई। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में किसी हद तक संतुलित विकास संभव हो पाया है। हमें यह कहने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि देश का अभी भी काफी हिस्सा संतुलित विकास के दायरे से अछूता रह गया है। देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का अधिकांश भाग अभी भी घोर दरिद्रता के साये में जीने को मजबूर है। इस दरिद्रता के कुचक्र के कारण ही देश में बेरोजगारी, हिंसा, नैतिक पत्तन व भ्रष्टाचार जैसी कुप्रथाओं ने भी जन्म लिया है।

ब्रिटिश शासन के दौरान ही भारतीय अर्थव्यवस्था साधन सम्पन्न व साधनहीन दो वर्गों में विभक्त हो गई थी। साधन सम्पन्न वर्ग के पास आर्थिक ससांधनों की अधिकता थी वहीं दूसरी तरफ साधनहीन वर्ग के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी एक समस्या थी। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय कारीगरों व हस्तशिल्पियों के पतन को बढ़ावा दिया जिससे हमारे कारीगर अपनी कला से विमुख होते चले गए और न चाहते हुए भी कृषि पर निर्भर होते चले गए। ब्रिटिश काल में सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश दरिद्रता के दलदल में धंसता ही चला गया। गरीबी का

चित्रण कुछ विदेशी अर्थशास्त्रियों ने इन शब्दों में किया है कि औसत भारतीय की आय इतनी है कि हर तीन में से दो को खाना खिलाया जा सके या फिर दिन में तीन बार की जगह दो बार ही भोजन दिया जा सके। इसके अतिरिक्त वे पौष्टिक भोजन के अलावा मनोरंजन के साधनों की तरफ तो आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर सकते। पौष्टिक भोजन की तो वे मात्र कल्पना ही कर सकते हैं स्वाद चखने का दमखम जुटाना इसके वश की बात नहीं है।

कारण व निवारण : भारत की दरिद्रता या निर्धनता कारणों में ही इनका निवारण छिपा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग अन्धविश्वास व रुढ़िवादी परंपराओं से नाता नहीं तोड़ पाए हैं। इसके चलते वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सामाजिक बुराइयों में व्यय कर देते हैं। शिक्षा के सही प्रसार द्वारा इन बुराइयों का चक्र तोड़ा जा सकता है तथा ग्रामीणों को जीविका का सही मायना समझाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भाग्यवादिता व निराशावाद की प्रवृति व्याप्त है जिसके कारण लोगों में आर्थिक प्रगति की भावना का अभाव है। शिक्षा व संचार माध्यम के प्रसार द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है।

विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में बचत व निवेश की दर काफी न्यूनतम है तथा पूंजी निर्माण का अभाव है। लोगों में बचत करने के प्रति अरुचि है तथा निवेश के प्रति उनमें साहस की भावना का अभाव है। बैंकिंग आदतों का विकास करके तथा बचत की भावना का विकास करके निर्धनता या दरिद्रता का चक्र तोड़ा जा सकता है।

भारत में आर्थिक संसाधनों की काफी प्रचुरता है । निर्धनता पर काबू पाने के लिए व देश के तीव्र अर्थिक विकास के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम व कुशलतम दोहन किया जाए।

औद्योगिकरण की गति को नई दिशा देने के लिए श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण व आविष्कार आदि पर बल देना होगा जिससे उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की जा सके। देश का संतुलित विकास तय करना होगा तथा देश के हर भू-भाग में उद्योग धन्धों का विकेन्द्रीयकरण करना होगा।

बिक्री के लिए अतिरिक्त नियमित उत्पादन करके देश के लिए आय का सृजन करना होगा। उत्पादन लागत कम रखकर और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके निर्यात योग्य उत्पादन सुनिश्चित करना होगा। इससे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। विदेशी बाजार खोजने के प्रयासों में सरकारी पहल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

देश का संतुलित विकास समान रूप से संभव नहीं हो पाया है जिसके कारण बिहार, उड़ीसा व मध्य प्रदेश आदि में पिछड़ेपन के कारण दरिद्रता का चक्र अधिक तेजी से फैलता नज़र आया है। देश में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में अग्रसर होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब आदि में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में वृद्धि हुई है। इस बात का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में 55 प्रतिशत (अधिकतम) व पंजाब में 12 प्रतिशत

(न्यूनतम) लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी व दरिद्रता का चक्र भेदने के लिए देश के सभी भागों में आधार भूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता देनी होगी जिससे देश का सतुंलित व समान विकास सभंव हो सकेगा।

रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन जारी है। इस पलायन को रोकने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही उद्योग धन्धे विकसित किए जाएं तथा कुटीर उघोगों के महत्व को समझा जाए। ऐसी दशा में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा किए जा सकेगें तथा दरिद्रता का घेरा और बड़ा होने से रोका जा सकता है।

देश में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई गई है इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि धन व आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बल मिल सके।

निर्धनता का मुख्य केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 64 प्रतिशत आबादी निवास करती है जो मुख्यत: कृषि पर ही आश्रित है। देश में कृषि व आधारित उद्योगों के संर्वागीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि भारत में भी कनाडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड आदि की तरह आधुनिक तकनीक द्वारा कृषि को आधुनिकीकरण के पथ पर लाया जाए। कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों जैसे डेरी, मछलीपालन व बागवानी जैसे उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता का प्रकोप कम किया जा सके। कृषि व आधारित उद्योगों के विकास के लिए श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धरता का स्तर न्यूनतम किया जा सके।

देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए तथा इन सेवाओं को प्रदान करने में पक्षपातपूर्ण रवैया त्यागना होगा तभी दरिर्दता का प्रकोप न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकेगा।

देश में साक्षरता की दर बहुत कम है। इसे केरल पंजाब व दिल्ली की तरह देश के हर भाग में बढ़ाना होगा ताकि लोग शिक्षा के बल पर आत्म निर्भर हो सके तथा स्वंय रोजगार धन्धे स्थापित करके निर्धरता का चक्र व्यूह तोड़ने में सहयोग कर सकें।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैंकिंग व डाकघर की बचत योजनाओं का अभाव है। आज भी महाजन और साहुकार निर्धन ग्रामीणों को ऊंची ब्याज दर पर उधार देने में सलंग्न हैं। इसके कारण निर्धन लोग और भी निर्धनता के चक्रव्यूह में धंसते चले जाते हैं बैंक व डाकखानों की सेवाओं के विस्तार द्वारा बचत संग्रह की योजनाओं को लोक प्रिय बनाया जा सकता है नवीन बैकिंग के अन्तर्गत समाज के अत्यन्त दरिद्रा लोगों को कम ब्याज पर ऋण सुविधा प्रदान की जा सकती है तथा उन्हें दरिद्रता की दलदल से बाहर निकालकर समाजिक उत्थान का कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। कम से कम ब्याज दर पर दरिद्र ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण कृषकों को खाद उर्वरक व कृषि उपकरण जुटाने में सरकार महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

गरीबी बेरोजगारी की जननी है। गरीबी के निवारण के लिए यह आवश्यक है कि पूंजी प्रधान तकनीक का सहारा अत्यन्त विशाल उद्योगों में ही लिया जाए। मध्यम व लघु उद्योगों में श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करके देश भर में रोज़गार के उचित अवसर पैदा करके निर्धनता का चक्र भेदा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लोक प्रिय नहीं बनाया जा सकता है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर आज भी ऊंची बनी हुई है। समाज के अधिकांशत: दो वर्ग के लोग ही गरीब और पिछड़े हैं-दलित वर्ग और अल्प संख्यक जाति के लोग। ये वर्ग परिवार कल्याण के संबध में अधिक जागरुक नहीं है। यद्यपि सरकार ने विविध माध्यमों से परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबध में जागरुकता लाने के प्रायास किए हैं। दलित व अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शिक्षा के प्रति अधिक जागरुक नहीं हैं जिसके कारण वे छोटे परिवार का महत्व नहीं समझ सकते। छोटे परिवार का महत्व समझाकर व दिलचस्प परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बल पर गरीबी निवारण कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है।

देश के अधिकत्तर अर्थशास्त्रियों के मतानुसार गरीबी बेरोज़गारी व अल्प रोजगार की समस्या का प्रतिफल है। अब आवश्यकता इस बात की है कि आगामी योजनाओं में निर्धन वर्गों की वास्तविक पहचान करके ग्रामीण विकास योजनाओं, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गांरटी योजना तथा काम के बदले अनाज योजनाओं से गरीबी की सीमा को तोड़ा जा सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निशुल्क किट वितरण की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार, हरित क्रांति तथा सहकारिता आन्दोलन द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाए तथा उनके आर्थिक कल्याण के लिए प्रबन्धतंत्र द्वारा समय समय पर योजनाएं लागू की जानी चाहिए ताकि दरिद्रता की दलदल से अधिकतम जनसंख्या को निकाला जा सके।

चालू पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास व गरीबी निवारण के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सुनिश्चित रोजगार योजना के बलबूते पर एक आत्म निर्भर समाज की स्थापना का सपना देखा जा रहा है। सामाजिक न्याय, पारदर्शी प्रशासन का सहारा लेकर और भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाकर गरीबी निवारण कार्यक्रमों की सफलता की आशा की जा सकती है। गरीबी का यह वर्षो पुराना चक्रव्यूह तोड़ पाना एक चुनौती भरा कदम है जिसे पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों के मन में अपने काम के प्रति समर्पण का भाव जब तक नहीं होगा तब तक गरीबी निवारण का यह लक्ष्य मात्र एक सपना बनकर अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता रहेगा।

पंजाब नैशनल बैंक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121002. (हरियाणा)

मानवाधिकार और श्रम कानून

—राजन मिश्रा

आदिकाल से ही मानव के द्वारा मानव का शोषण होता आया है। जो मानव जब कभी किसी भी रूप में शक्तिशाली या सत्ताधारी रहे, उन्होंने सदैव ही कमजोर, गरीब और लाचार मनुष्यों का हर रूप में भरपूर शोषण किया है। प्रारम्भ से ही पुरुषों की बनिस्बत महिलाओं का अधिक शोषण होता आया है। समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाजों, परम्पराओं, मान्यताओं, अन्धविश्वासों, सामाजिक बन्धनों, अनुष्ठानों आदि का बोलबाला होता गया जिसकी आड़ में मानवाधिकारों को इस तरह या उस तरह, जैसा भी मौका मिला, कुचलते गए। आज भी, सभ्यता के अच्छे विकास के बावजूद, शोषण ओर अत्याचार जारी है। महिलाओं और बच्चों पर, खासतौर से कमजोर वर्ग पर अधिक अत्याचार बढ़े हैं, उनके मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ती रही हैं।

समाज एवं देश के आर्थिक उत्थान में श्रमिक वर्ग की एक अहम् एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो श्रमिक पहले मानव है और बाद में श्रमिक। इतने बढ़े योगदान के बाद भी यदि हमें इतिहास में झांककर औद्योगिक क्रांति और उसके विकास को देखें तो श्रमिकों पर जानवरों से भी बद्तर अत्याचार हुए हैं—भारी शोषण होता रहा है। श्रमिकों को शोषण से बचाने तथा उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समय-समय पर श्रम कानून बनाए गए हैं। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों पर घोषणा पत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी 10 दिसम्बर 1948 की महासभा की बैठक में काफी विचार विमर्श के बाद मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की स्वीकृति प्रदान की। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद परिषद ने सभी सदस्य देशों से अपने यहां इन मानव अधिकारों को स्वीकृत एवं लागू करने का अनुरोध किया। तब से ही पूरी दुनिया में **10 दिसम्बर मानव अधिकार दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

भारत ने 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया तत्पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन हुआ। अभी जुलाई 98 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान (आई.सी.सी.) के गठन का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। युद्ध अपराधों के निपटारे वाली इस अदालत के विधान को 160 में से 120 देशों ने अपनी सहमति दी है।

अमरीका सहित सात देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया तथा भारत सहित अन्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। पारित विधान के तहत नरसंहार की श्रेणी में आने वाले किसी राष्ट्रीय, जातीय अथवा धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक तौर पर नेस्तनाबूद करना, रखा गया है। मानवता के खिलाफ अपराध में जानबूझकर नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला, उत्पीड़न, बलात्कार, जबरन गर्भ धारण और जबरन नसबंदी भी इसी श्रेणी में होंगे। इसमें 30 वर्ष अथवा आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है।

इससे पूर्व भी 1984 में संयुक्त राष्ट्र ने यंत्रणा विरोधी संधि अपने सदस्य राष्ट्रों के सम्मुख रखी थी जिस पर भारत ने अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। आश्चर्य यह भी है कि पूरी दुनिया में मानव हितों की रक्षा की दुहाई देने वाला देश अमेरिका ने भी दस्तखत नहीं किए।

मानवाधिकारों के सन्दर्भ में श्रम कानूनों की चर्चा करें इससे पूर्व यह आवश्यक होगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को देखें।

भारतीय संविधान भी मानव अधिकारों को स्वीकराते हुए, उसकी पुष्टि करता है तथा उनको लागू करता है। मानव अधिकार निम्नानुसार है:—

अनुच्छेद—1 : सभी सदस्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद—2 : सभी को इस घोषणा में निहित सभी अधिकारों और आजादी प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार तक नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई भेदभाव न रखा जाए।

अनुच्छेद—3 : प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद—4 : कोई भी व्यक्ति गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी-प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद—5 : किसी को भी शारीरिक यातना नहीं दी जावेगी और न ही किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक व अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनुच्छेद—6 : हर किसी को हर जगह कानून की नजर में व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्ति का अधिकार है।

अनुच्छेद—7 : कानून की नजर में सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकार हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाए या उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए, तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है।

अनुच्छेद—8 : सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

अनुच्छेद—9 : किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबन्द या देश निकाला नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद—10 : सभी को पूर्णत: समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से स्वंतत्र और निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद—11 : (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया गया हो, तब तक उसे निरपराध माना जायेगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफाई पेश करने की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत्य या अकृत्य (अपराध) के कारण उस दण्डनीय अपराध का अपराधी नहीं माना जायेगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जा सकेगा जो उस समय दिया जाता, जिस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद—12 : किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार घर पर पत्र व्यवहार आदि के प्रति कोई भी मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और न किसी के सम्मान एवं ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आरोपों के विरुद्ध सबको कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद—13 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को देश की सीमाओं के अन्दर स्वतंत्रतापूर्वक आने जाने व बसने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद—14 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को सतायें जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

(2) इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर-राजनीतिक अपराधों से सम्बन्धित है या जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य है।

अनुच्छेद—15 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार है।

(2) किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा या नागरिकता परिवर्तन करने से मना भी नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद—16 : (1) बालिग स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार की स्थापना करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में, वैवाहिक जीवन में तथा विवाह-विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।

(2) विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री-पुरुषों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।

(3) परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद—17 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले ओर दूसरों के साथ मिलकर रहने का अधिकार है।

(2) किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद—18 : प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तर्रात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत् अपना कार्य या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के

साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप अथवा निजी तौर पर, अपने धर्म या विश्वास की शिक्षा, आचरण, उपासना व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद—19 : प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं की परवाह न करके, किसी सूचना का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान करना सम्मिलित है।

अनुच्छेद—20 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को शांति पूर्वक सभा करने का, समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

(2) किसी भी संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद—21 : प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतन्त्र रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के जरिये हिस्सा लेने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।

(3) सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय-समय पर और वास्तविक चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतंत्र मतदान पद्धति से कराए जाएंगे।

अनुच्छेद—22 : समाज के एक सदस्य के स्वंय में प्रत्येक को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो, अनिवार्यत: आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद—23 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के संमान मजदूरी पाने का हक है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को, जो काम करता है, यह अधिकार है कि वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ऐसी आजीविका का प्रबन्ध कर सके जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।

2849 HA/2002—4A

(4) प्रत्येक व्यक्ति को हितों की रक्षा करने के लिए श्रमजीवी संघ बनाने का और उसमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद—25 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत भोजन, कपड़ा, मकान चिकित्सा सम्बन्धी, बीमारी, असमर्थता वैध्याव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर, जो उसके काबू से बाहर है, से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

(2) जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहित माता से जन्मा हो या अविवाहित से, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद—26 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी अवस्थाओं में नि:शुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी।

(2) शिक्षा का उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि होगा। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, मैत्री का विकास करना और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा।

(3) माता-पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे यह चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।

अनुच्छेद—27 : (1) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनन्द उठाने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक, आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचियता वह स्वयं हो।

अनुच्छेद—28 : प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णत: प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद—29 : (1) प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्त्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र एवं पूर्ण विकास संभव हो।

(2) अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी सीमाओं द्वारा बाध्य होगा, जो कानून द्वारा निश्चित की जाएगी और जिसका एकमात्र उद्देश्य, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगी तथा जिसकी आवश्यकता एक प्रजांतत्रात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं का पूरा करना होगा।

(3) इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी राष्ट्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद—30 : इस घोषणा में उल्लेखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहां बताये गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो।

भारत में कालान्तर से मानव की गरिमा शनैः शनैः घटती जा रही है। नारी की देह तन्दूर में जलने लगी, दहेज के लोभियों ने नारी को प्रताड़ना के साथ हत्या और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, यौन उत्पीड़न में वृद्धि होती गई, अपहरण फिरौती एवं हत्याएं आम बात हो गईं, आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष मानव को भूनने का सिलसिला जारी रहा, निर्धन की किडनी (गुर्दे) सम्पन्न व्यक्तियों को लगने लगी, आम जनता की रक्षक पुलिस के विभिन्न जुल्म भी सामने आने लगे। ऐसे असुरक्षित माहौल ने एक बार फिर मानव अधिकारों की सुरक्षा पर सोच एवं चिन्तन के लिए विवश कर दिया। परिणामस्वरूप संसद ने 1993 में मावन अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

इस अधिनियम में मानवाधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है—"**मानवाधिकार से व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों व प्रसंविदाओं में सन्निहित है और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।**" इससे यह स्पष्ट है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में सन्निहित अधिकार ही मानवाधिकार है। भारत के न्यायालयों ने मानवाधिकार सम्बन्धी कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं जिनमें मानवीय मूल्यों के रूप में मानवाधिकारों को प्रतिष्ठित किया गया है।

श्रमिकों के हितों के लिए सरकार ने कई कानून बना रखे हैं, जिनमें निम्न मुख्य हैं :—

1. औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित अधिनियम

— औद्योगिक नियोजन (स्थान आदेश) अधिनियम

— श्रम संघ अधिनियम, 1926

— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

2. कार्य दशाओं से सम्बन्धित अधिनियम

— कारखाना अधिनियम, 1948

3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से सम्बन्धित अधिनियम

— ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972

— भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन योजना, 1952

— कर्मचारी बीमा योजना, 1948

— कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

— मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961

— बाल श्रमिक उन्मूलन अधिनियम, 1986

4. वेतन से सम्बन्धित अधिनियम

— वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

— बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

— न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

— समान कार्य, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

इनके अलावा खदान, बागान आदि में कार्यरत श्रमिकों के लिए कानून व राज्यों द्वारा पारित विभिन्न श्रम कानून शामिल हैं।

सभी श्रम कानूनों में श्रमिकों को शोषण से बचाने, कल्याण करने तथा सभी प्रकार के हितों की रक्षा का प्रावधान है जो मानव की गरिमा एवं उसके अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हैं। फिर भी मानवाधिकार घोषणा के सन्दर्भ में सीधे सीधे निम्न अधिनियमों का जिक्र कर सकते हैं :—

(1) कारखाना, खान बाग आदि अधिनियम में वर्णित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधानों की पूर्ति अनुच्छेद-3 में होती है।

(2) श्रम संघ अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति अनुच्छेद-20, 23 (4), 18 तथा 2 में होती है।

(3) न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति अनुच्छेद 25 (1) तथा 23 (1) में होती है।

(4) अनुच्छेद 3, 4 तथा 5 के अन्तर्गत बन्धुआ श्रमिक निषेध अधिनियम के प्राय: सभी प्रावधान समा जाते हैं।

(5) मातृत्व हित लाभ अधिनियम के प्रावधानों की पुष्टि अनुच्छेद 25 में होती है।

(6) समान कार्य के लिए समान परिश्रमिक अधिनियम की धारण अनुच्छेद 22 (11) पूरी करता है।

(7) भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन अधिनियम के प्रावधानों में अनुच्छेद 25 झलकता है।

(8) कर्मचारी बीमा योजना तथा क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों को कुछ हद तक अनुच्छेद 23 (1) (3), 25 (1) संरक्षण प्रदान करता है।

अन्तत: यहीं कहा जा सकता है कि मानव होने के नाते श्रमिक को भी वे सभी मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए ताकि वह समाज में अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रहित सर्वोपरि भाव से देश के चहुंमुखी विकास में अपनी सफल भूमिका निभा सके।

102, सेक्टर-5, सिकन्दरा योजना, आगरा (उत्तर प्रदेश)

समता एवं एकता की संस्कृति का प्रतिपादक शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन

—डॉ० रामगोपाल शर्मा ''दिनेश''

भारतीय दर्शनों में शैव दर्शन का विशेष महत्व है। यह दर्शन समस्त विश्व को एक अखण्ड अनादि, अनन्त, अद्वैत सत्ता शिव के रूप में देखता है। इसलिए इस दर्शन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए केवल मुनष्य ही नहीं, विश्व का हर प्राणी एक ही परम सत्ता शिव का अभिन्न स्वरूप है। विश्व में यही एक ऐसा दर्शन है, जो सभी जीवों में अभेद की मान्यता पर बल देता है।

प्रत्यभिज्ञा दर्शन शैव दर्शन के कई भेदों में से एक प्रमुख भेद है, जिसका मूलाधार कश्मीर में महादेव गिरि पर अंकित शिव-सूत्र माने जाते हैं। वसुगुप्त नामक प्राचार्य ने इन सूत्रों को स्मरण करके ''स्पन्दकारिका'' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। उसके पश्चात् उनके दो शिष्यों ने, जिनके नाम कल्लट और सोमानंद थे, क्रमश: ''स्पन्दशास्त्र'' तथा ''प्रत्यभिज्ञाशास्त्र'' नामक ग्रन्थ लिखे और सोमानंद के शिष्य उदयाकर ने प्रत्यभिज्ञा-सूत्रों की रचना की। इन प्रमुख ग्रन्थों के पश्चात् अभिनव गुप्त ने ''ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी टीका'' एवं ''तंत्रालोक'', ''तंत्रसार'' आदि ग्रन्थ लिखे। इन्हीं सब ग्रन्थों के आधार पर प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन का विकास हुआ है, जिसको भारतीय दर्शनों में आनंदवादी जीवन-दृष्टि के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

संसार के विभिन्न धर्मों के दार्शनिक चिन्तनों में जीव, जगत् एवं ईश्वर या ब्रह्म के विषय में विभिन्न रूपों में विचार किया गया है। प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन के अतिरिक्त (शैव भेदों को छोड़कर) अन्य सभी दर्शन जीव और जगत् की अनेक सीमाएं रहे हैं, जिनसे मानव-जाति अनेक सम्प्रदायों एवं वर्गों में विभाजित हो गई है। प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन उन सभी सम्प्रदायों, वर्गों तथा जातियों में समन्वय स्थापित करके भेदभाव की दीवारें गिराता है। इस दर्शन के अनुसार अखण्ड विराट विश्व एक परम सत्ता शिव का ही रूपान्तर है। परम शिव में ही समस्त जीवों एवं जगत् की स्थिति है। यह स्थिति नित्य है, अनित्य कुछ भी नहीं है। **अतः प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन एक अद्वैतवादी दर्शन है, किन्तु शंकराचार्य के अद्वैतवाद से इस दर्शन का अद्वैतवाद भिन्न है।** शांकर वेदान्त में जीव को ब्रह्म माना गया है, किन्तु जगत् मिथ्या बताया गया है—''**ब्रह्म सत्यं, जगत्मिथ्या**'' तथा ''**जीवो ब्रह्मैव नापरः**''। शैवाद्वैत में जीव, जगत् और ब्रह्म तीनों अभेद तथा सत्य हैं, मिथ्या कुछ भी नहीं है। यहां संक्षेप में हम इस दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए सृष्टि और उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में दार्शनिक मन्तव्यों को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे।

सृष्टि

शैव दर्शन में सृष्टि की स्थिति भी नित्य मानी गई है। उसकी कल्पना दो रूपों में की गई है—शुद्ध सृष्टि (अध्वा) और अशुद्ध सृष्टि(अध्वा)।

मृत्यु या विनाश—

जीव, जगत् और ब्रह्म की अभेदता तथा नित्यता में विश्वास करने के कारण शैव दर्शन मृत्यु या विनाश को अस्वीकार करता है। इस दर्शन के अनुसार न किसी जीव की मृत्यु होती है और न किसी वस्तु का विनाश होता है। जो कुछ है, वह है और सदा रहता है। किसी भी पदार्थ का क्षय नहीं होता है, केवल रूप बदल जाता है। अत: इस दर्शन में मृत्यु निमीलन का दूसरा नाम है, जो परम शिवत्व की अवस्था है।

उन्मीलन-निमीलन

इस दर्शन के अनुसार सृष्टि का उन्मीलन और निमीलन या आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जो कुछ है वही प्रकट होता है और वही छिपता भी है। जो नहीं है—असत् है, वह न उन्मीलित हो सकता है, न निमीलित हो सकता है। इस प्रकार यह दर्शन किसी भी प्रकार के भ्रम का पोषण नहीं करना चाहता, जैसा कि शांकर वेदान्त करता है। वह जगत् को मानता भी है, किन्तु मिथ्या बतला कर मानता है और "कहता है कि जो नहीं है, असत् है, उसकी प्रतीति माया-जन्य है। शैव दर्शन में भी माया की स्वीकृति है, किन्तु यहां न तो माया स्वयं मिथ्या है और न वह किसी मिथ्या की प्रतीति कराती है। वह केवल शुद्ध सृष्टि को अशुद्ध सृष्टि के रूप में बदलती रहती है।"

शैव दर्शन के अनुसार परम शिव में ही जीव और जगत् की पारमार्थिक सत्ता विद्यमान है। जब वह परम शिव आत्म-क्रीड़ार्थ उद्यत होता है, तब उसका शुद्ध और अशुद्ध सृष्टियों या अध्वाओं के रूप में उन्मीलन होता है। जब वह आत्मक्रीड़ा से विश्राम लेना चाहता है, तब आत्म-क्रीड़ा द्वारा दृश्यमान अपनी अशुद्ध सृष्टि का निमीलन कर लेता है।

सृष्टि के उन्मीलन-निमीलन का क्रम :

परम शिव जब सृष्टि बनता है, जब वह 36 तत्वों के रूप में अभिव्यक्त होता है। इन तत्वों का क्रम इस प्रकार है—

शुद्ध सृष्टि या शुद्ध अध्वा : 1. शिव 2. शक्ति 3. सदाशिव 4. ईश्वर 5. सद् विद्या

षट् कंचुक : 1. माया 2. कला 3. विद्या 4. काल 5. राग 6. नियति

कंचुकित शिव और शक्ति : 1. पुरुष 2. प्रकृति

जीव रूप में परिवर्तित पुरुष का विस्तार : 1. बुद्धि 2. अहंकार 3. मन

परिवर्तित प्रकृति का विस्तार 1. पांच ज्ञानेन्द्रियां 2. पांच कर्मेन्द्रियां 3. पांच तन्मात्राएं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) 4. पांच स्थूल भूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी)।

जब शिव से पाँच स्थूल भूतों तक परम शिव का विस्तार होता है, तब इस क्रिया को शैव दर्शन में उन्मीलन या आविर्भाव कहते हैं तथा जब पाँच स्थूल भूतों से परम शिव की ओर परम संकोच होता है, तब इस क्रिया को निमीलन या तिरोभाव कहते हैं। यही क्रिया प्रलय भी कहलाती है।

शुद्धता :

शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सद् विद्या तक सृष्टि शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि इन तत्वों के रूप में आने तक शिव को अपने शुद्ध रूप का बोध बना रहता है।

अशुद्धता :

जब परम शिव अपने शुद्ध अध्वा के पांच रूपों को अवतरित करने के लिए माया तत्व बनता है और फिर शेष पांच कंचुक तत्वों के रूप में आता है, तब वह अशुद्ध अध्वा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ''शिव'' तत्व पुरुष के रूप में आ जाता है और ''शक्ति'' ही ''प्रकृति'' बन जाती है। कंचुकों के कारण बुद्धि, अहंकार और मन का आविर्भाव होता है, जिसके फलस्वरूप पांच-ज्ञानेन्द्रियों, पांच-कर्मेन्द्रियों, पांच तन्मात्राओं और पांच स्थूल भूतों के रूप में प्रकृति का विस्तार हो जाता है। पुरुष जीव बनकर इस प्रपंच में ''यह मैं हूं'' (इदं अहं अस्मि) का अनुभव करता है। चूंकि वह अपने शिव रूप को भूल कर अपने जगत् रूप को ही जानता है, इसलिए वह सृष्टि ''अशुद्ध सृष्टि'' कहलाती है।

शिव का पुरुषत्व :

जब परम शिव षट् कंचुकों से आवृत्त होकर पुरुष और प्रकृति के रूप में आता है, तब अशुद्ध सृष्टि अप्रकट रूप में रहती है। उस समय शिव पुरुष रूप में अपनी शक्ति रूपा प्रकृति का साक्षी होता है।

शिव का जीवत्व :

जब पुरुष अपनी प्रकृति के सहयोग से बुद्धि, अहंकार और मन से पांच स्थूल भूतों तक की सृष्टि का विस्तार कर लेता है, तब उसकी संज्ञा ''जीव'' हो जाती है। वह अपनी प्रकृति के स्थूल

उन्मीलित रूप का आनन्द लेता है—उसी में रमण करता है। इस क्रिया से प्राप्त उसका आनन्द संकीर्ण होता है, क्योंकि उसका ''अहं-बोध'' विराट् न रहकर ''इदं'' में बदला होता है—सृष्टि बना होता है, अर्थात् अभेद के स्थान पर अब वह भेद का अनुभव करता होता है। अत: वह आनन्द को समझ नहीं पाता। जो भेद-संघर्ष-जन्य दुख होता है, उसी को आनन्द मानकर सुखी रहना चाहता है। यों अभेद का आनन्द न मिलने से वह निरन्तर दुख की ओर अग्रसर होता है। यही उसका ''पशुत्व'' है। शक्ति शिव को अनेक पाशों में बांधती है। शिव इन्हीं के कारण जीवता प्राप्त करता है और दुख भोगता है, उसकी इच्छा ज्ञान और क्रिया—तीनों अलग-अलग होकर भेद उत्पन्न करते हैं। यह भेद भी पाश ही है—**भेद प्रथात्मकम् शिवात् अन्यत् तदेव पाश:।**

मोक्ष के दो रूप :

जीवत्व के इस दुख से मुक्ति मिलने को ही ''मोक्ष'' कहते हैं। यह मोक्ष दोनों रूपों में मिल सकता है, सृष्टि के रूप में भी और शिव के रूप में भी क्योंकि दोनों ही रूपों में जीव अपने ''शिवत्व'' का बोध प्राप्त कर सकता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह शिव है—**सर्वाकृतिर्विश्वमयो निराकृतिर्विश्वोतीर्ण:** । अत: मोक्ष का एक रूप तो यह है कि जीव शरीर के रहते हुए भी भेद की अनुभूति से अलग होकर अभेद की अनुभूति प्राप्त करे, दार्शनिक भाषा में जिसे कहा जाता है—''**इदं अहं अस्मि'' से केवल ''अहं'' की अनुभूति**। जब जीव सब भेद-भाव भूलकर जगत् एवंस्यं को अदैत ''शिव'' स्वरूप में देखता है, तब वह शरीर रहते हुए भी जीवता से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में उसे भेद-बुद्धि-जन्य दु:ख की अनुभूति नहीं होती, अपितु शिवत्व का बोध प्राप्त कर वह चिरानन्द-मग्न हो जाता है। इसी को जीव-मुक्ति कहते हैं। मोक्ष का दूसरा रूप यह है कि माया से लेकर पांच स्थूल भूतों तक के समस्त तत्वों का निमीलन हो जाए। जीव पुरुष रूप को पार करता हुआ कंचुकों को भी लय करके परम शिव रूप में स्थित हो जाए। इस स्थिति में जगत् का तिरोभाव अनिवार्यत: हो जाता है। चरम मोक्ष की जब यह स्थिति आती है, तब शुद्ध अध्वा भी नहीं रहती और सब कुछ पुन: परम शिव के रूप में आ जाता है। वस्तुत: यह सृष्टि के लिए एक प्रकार की नकारात्मक स्थिति है। यह स्थिति केवल साधकों और योगियों के लिए ही अभीष्ट हो सकती है गृहस्थ के लिए तो वही स्थिति अभीष्ट है, जो संसार की स्वीकृति से जुड़ी हो। इसलिए शैव दर्शन के अनुसार मोक्ष का प्रथम रूप ही अधिक लोक-संगत एवं ग्राह्य है।

समरसता :

प्रथम प्रकार के मोक्ष में ''समरसता'' के सिद्धान्त का विशेष महत्व है। इस सिद्धान्त के अनुसार समस्त सृष्टि को आत्मा की ही चैतन्य स्वरूप माना जाता है। जब जीव अपने शिव स्वरूप को पहचान कर समस्त संसार में अभेद का अनुभव करता हुआ संसार को भी आत्म-रूप

ही मान लेता है, तब समरसता की स्थिति आती है। इस स्थिति तक पहुंचाने में उसका शक्ति तत्व ही सहायक होता है। "शिवसूत्र विमर्शिनी" में कहा गया है—

"परैव सूक्ष्म्या अमाकलारूपा कुण्डलिनी शक्तिःशिवेन सह परस्पर सामरस्यरूप मथ्यमथ्यकभावात्मकम् संघट्टमासाद्य उत्थिता सति इच्छाज्ञानक्रियाश्रित्य रौद्रित्वम् उन्मुद्रयन्ती वर्ण शरीरं उद्भासयति।"

आशय यह है कि मथ्यमथ्यक भाव से शिव और शक्ति परस्पर संघटित होकर इच्छा, कर्म और ज्ञान में सामरस्य लाकर आनन्द या उल्लास उत्पन्न करते हैं। जब इच्छा कर्म और ज्ञान में सामरस्य या समता आ जाती है, तब स्वतः अभेद की स्थिति हो जाती है। उस समय जीव के लिए उसकी शिवता और सांसारिकता भिन्न नहीं रह जातीं।

इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन मनुष्य मात्र को परम शिव का ही लीला-मय एक रूप मानकर समता एवं एकता का बोध कराता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया से संचालित यह समस्त विश्व जीव से बाहर नहीं है। इसमें न तो धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव है, न कर्म के आधार पर और न भावना के आधार पर। **जहां कहीं हमें समाज में भेद-भाव दृष्टिगोचर होता है, वह मनुष्य के अज्ञान का सूचक है। जब प्रत्यभिज्ञान की स्थिति आती है, जब सभी प्रकार के भेद-भाव और अन्तर समाप्त हो जाते हैं तथा समरस सामाजिक संस्कृति विकसित होती है।**

प्रत्यभिज्ञान :

जीव रूप में संसारी बना हुआ शिव अनेक प्रकार के क्लेश पाता रहता है। उसका शक्ति तत्व उससे दब जाता है। **पशुत्व प्रधान हो जाने से प्रकृति के रूप में उसके साथ रहने वाली शक्ति उसकी इच्छाओं का अनुसरण करती रहती है।** किन्तु जब उस शक्ति-रूपा प्रकृति की प्रधानता होने लगती है, तो वह आत्म शिव रूप को भूले हुए जीव को बार-बार उपदेश देती है और शिवता की ओर ले जाती है। जब जीव की शक्ति के माध्यम से अपने शिव रूप का पुनः बोध हो जाता है, तब इस बोध को ही प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। आत्म-प्रत्यभिज्ञा का शैव-दर्शन में इसीलिए बहुत महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा जीव जगत् में रहता हुआ भी अपने शिव रूप को पहचान कर जीवसन्मुक्ति या जीवनमोक्ष प्राप्त करता है।

अभीष्ट मोक्ष :

मोक्ष का अन्य स्वरूप मूलतः तो इस स्वरूप से भिन्न नहीं है, किन्तु जगत् के अस्तिव को बाहर अनुभव करने में कठिनाई होने की दृष्टि से अस्वीकार्य है। **आज के विज्ञान-युग में**

निमीनल-जन्य मोक्ष की साधना समाज-विरोधी भी है। कोई भी आध्यात्मिक साधना तब तक व्यर्थ है, जब तक वह समाज के व्यापक कल्याण में सहायक न हो। शैव दर्शन तो मूलत: एक सामाजिक दर्शन ही है, क्योंकि उसमें व्यक्तिवाद का सामान्यत: विरोध एवं सर्ववाद का प्राधान्य है। उसमें व्यक्ति-कल्याण के स्थान पर प्राणि-मात्र के अभेद का आनन्द प्रधान है। अत: केवल वे लोग ही शैव दर्शन के अनुसार निमीलनावस्था के मोक्ष की कामना कर सकते हैं, जो घोर व्यक्तिवादी हों, जिन्हें अपने-पराए में अन्तर दीखता हो तथा जो व्यक्तिगत साधना द्वारा अपने लिए आनन्द-व्यवस्था करके शांत हो जाना चाहते हों।

प्रत्यभिज्ञा दर्शन एक सामाजिक मानव संस्कृति की स्थापना का प्रतिपादन करता है तथा व्यक्ति को जरा-मरण के भय से मुक्ति दिलाता है। यह दर्शन हर जीव में आत्म-भाव रखकर, सबके कल्याण की कामना जगाता है। संसार के पलायन की प्रवृत्ति को रोककर जीवन में संघर्ष करना सिखाता है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में वैराग्य की जो प्रवृत्तियां विकसित हुई, उनके लिए शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन उत्तरदायी नहीं है। **आत्म-ग्लानि, हीन-भाव, और असमर्थता की स्थितियों से बचाकर मनुष्य मात्र को अटल विश्वास के शिखर पर खड़ा करना इस दर्शन का लक्ष्य है।** जीव शिव स्वरूप है, अत: मृत्यु का बोध और भय निरर्थक है । जीवन से बाहर किसी मोक्ष और पाप-पुण्य की कल्पनाएं भी निरर्थक हैं, क्योंकि भौतिक जीवन में ही आध्यात्मिक जीवन का बोध कराके यह दर्शन जीवित अवस्था का आनंद-मय मोक्ष प्रदान करता है।

पी-25, मानस अपार्ट्मेन्ट्स, मयूर विहार-I, दिल्ली-110091

रैबीज़, हाइड्रोफोबिया या जल-भीति

—डॉ० रामदास 'नादार'

रैबीज़ एक भयंकर एवं जानलेवा रोग है। इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रो का अर्थ है, पानी और फोबिया से अभिप्राय है भय या डर। भय वास्तविक डर होता है किन्तु फोबिया काल्पनिक डर को कहते हैं। इसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। यह केवल मानसिक भय या डर होता है। रैबीज़ रोग का प्रभाव सीधा केन्द्रीय स्नायुतंत्र पर होता है, अत: रोगी को पानी से डर लगने लगता है और वह पानी के पास भी नहीं जा सकता। तभी इस रोग को जल-भीति भी कहते हैं। जल-भीति या पानी से डर लगना ही इस रोग का मुख्य लक्षण है। रोगी पानी से दूर रहना चाहता है। यहां तक कि पानी पी भी नहीं सकता। आखिर यह रोग उसके लिए जान लेवा सिद्ध होता है। इस रोग को न होने देने का उपाय तो है किन्तु यदि यह रोग हो जाए, तो फिर इसका कोई निदान नहीं, कोई उपचार नहीं। आज तक इसके लिए कोई औषधि विकसित नहीं हो पाई। कैन्सर की तरह इसे भी घातक रोग माना जाता है। कैन्सर के कुछ प्रकार तो साध्य हो गए हैं, किन्तु रैबीज़ एक साध्य रोग ही बना हुआ है। मृत्यु ही इस का अंत है। वह ही इस से छुटकारा दिला सकती है। इस कदर भयानक रोग है यह।

2. अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस रोग के वाहक अधिकतर कुत्ते होते हैं। यूं तो कोई जंगली पशु अन्य किसी पशु तक रोग ले जाने का माध्यम बन सकता है, किन्तु कुत्ता इस रोग को दूसरों तक ले जाने का अधिक सरल एवं सुगम माध्यम है।

3. सभी कहते हैं कि कुत्ता इन्सान का बड़ा वफादार पालतू पशु है। यह अपने स्वामी की जान माल की रक्षा करता है। अपने मालिक के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को सदैव तैयार रहता है। कुत्ते की वफादारी और समझदारी की अनगिनत कहानियां सभी ने सुनी तथा सुनाई हैं किन्तु बहुत कम लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि कुत्ता रैबीज़ जैसे भयंकर रोग का वाहक है।

4. यह जानकर आप हैरान होंगे कि हर वर्ष 25000 व्यक्ति रैबीज़ से मरते हैं और इससे पीड़ित 98% व्यक्ति भारत से होते हैं। इसका कारण हमारी अशिक्षा और जागरुकता की कमी है। सारे संसार में 30 लाख आवारा कुत्ते होने का अनुमान है। रैबीज़ फैलाने वाले और इंसान के शत्रु यही आवारा कुत्ते हैं।

5. जब एक ऐसा कुत्ता या पशु जो रैबीज़ रोग से पीड़ित है, किसी अन्य स्वस्थ कुत्ते या पशु को काटता है तो इस रोग के जीवाणु उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं। तब वह भी इस रोग से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार एक रोगी से यह रोग अन्य तक पहुंचता है। कुत्ते चूंकि आवारा घूमते हैं अत: उनके किसी रोगी कुत्ते द्वारा काटे जाने की संभावना अधिक रहती है। रोगी कुत्ता एक स्थान पर बैठता नहीं। वह हर समय इधर-उधर भागता एवं दौड़ता रहता है। उसके मुंह से झाग या लार टपकती रहती है और वह पागल सा हो जाता है। तभी रैबीज़-ग्रस्त कुत्ते को पागल कुत्ता भी कहते हैं। जन साधारण तो रैबीज़ रोग से परिचित नहीं होते, वे तो बस यही कहते हैं कि अमुक कुत्ता पागल हो गया है।

6. इसका अर्थ यह नहीं कि पालतू कुत्तों को रैबीज़ रोग हो ही नहीं सकता। जब भी किसी पालतू कुत्ते को कोई अन्य आवारा रोगी कुत्ता काट लेता है तो उससे उसे यह रोग हो जाएगा। अत: पालतू कुत्तों को इस रोग से बचाव के लिए बचाव के टीके लगवा दिए जाते हैं। रोग से बचाव का टीका तो है किन्तु रोग हो जाने पर उपचार की कोई दवा या टीका अभी अविष्कृत नहीं हुआ। ये टीके भी रोग के जीवाणुओं से निर्मित होते हैं। सिद्धांत वही प्रतिरोधक-शक्ति उत्पन्न करने का ही है। इन टीकों के लगाने का उद्देश्य रोग के कुछ कमजोर जीवाणु शरीर में प्रविष्ट कर शरीर के बचाव-तंत्र को सक्रिय करने का है। जब रैबीज़ के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो नैसर्गिक रूप से रोग से लड़ने की शक्ति जागृत हो जाती है। टीकों से शरीर में रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। शरीर को इस प्रकार रोग पर काबू पाने में सहायता मिलती है किन्तु ऐसा भी माना जाता है कि यदि टीका लगाना आवश्यक न हो और लगा दिया जाए तो हो सकता है कि वही बचाव करने वाला टीका ही रोग का कारण बन जाए।

7. इसीलिए इस बारे में दो मत हैं। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि खतरा मोल नहीं लेना चाहिए और कुत्ते या आवारा पशु के विशेषकर बंदर के काटते ही टीकों का उपचार आरम्भ कर देना चाहिए। कुछ की मान्यता है कि कुत्ते को दस दिन देखना चाहिए यदि वह रैबीज़ से ग्रस्त होगा तो दस दिन के बाद वह अवश्य जीवित नहीं रहेगा। यदि वह जीवित रहता है तो उपचार बन्द कर देना ही उचित है क्योंकि वह कुत्ता रैबीज़ पीड़ित नहीं है। आवारा कुत्ते को देखना दस दिन तक शायद संभव न हो। अत: ऐसी स्थिति में खतरा कदापि मोल नहीं लेना चाहिए। सुरक्षा यही है कि उपचार तुरंत शुरू कर दिया जाए। हां, कुत्ते ने कहां काटा है, घाव कितना गहरा है उसके मुंह या दांतों की लार प्रभावित व्यक्ति की खाल में कहां तक पहुंची है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही चिकित्सक टीके लगाने या न लगाने का निर्णय लेगा। कुत्ते के काटने पर घर बैठकर घरेलू उपचार में नहीं लगना चाहिए बल्कि शीघातिशीघ्र डाक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी सलाह पर उपचार शुरू करना चाहिए। टीका लगवाने से खतरा कम है और न लगवाने से खतरा अधिक है। पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों के बीच बहुत अंतर है। पालतू कुत्तों

को प्राय: टीके लगवा लिए जाते हैं जब कि आवारा कुत्तों के विषय में ऐसा नहीं होता और उनकी पहचान रख पाना भी संभव नहीं।

8. पहले रैबीज़ प्रतिरोधक टीके भारत में कसौली में बनाए जाते थे। आजकल अनेक कंपनियां ऐसे टीकों का निर्माण कर रही हैं। शोध से, खोज से यह पता लगा है कि 6% कुत्ते ऐसे थे जिन्हें टीके लग चुके थे किन्तु फिर भी उन्हें रैबीज़ हो गया। 62% कुत्ते जिन्हें यह रोग हुआ वे एक वर्ष के थे या पिल्ले थे। 40% कुत्ते जिन्हें केवल एक बार टीका लगाया गया था। वे 4-6 मास में ही अपनी प्रतिरोधक शक्ति खो बैठे।

9. कुछ वर्ष पूर्व टीके पेट में लगाए जाते थे और यह पूरा कोर्स लगाना आवश्यक था किन्तु आजकल 5/6 टीकों का कोर्स उपलब्ध है। इन्हें पेट में लगाना अनिवार्य नहीं। ये मांस पेशियों में भी लग सकते हैं जैसे कोई अन्य टीका लगता है। पेट में टीके लगाना बड़ा कष्टदायक और पीड़ाजनक होता था।

10. ऐसे उदाहरण भी हैं जिस कुत्ते को रैबीज़ के टीके लग चुके थे, उसे भी यह रोग हो गया और इस रोग से वह मर गया। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में अभी विश्वासपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

11. बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुत्ते से, बंदर से, या अन्य जंगली पशु से सावधान रहा जाए और रैबीज़ के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाई जाए। कुत्ते पालने का शौक कम से कम पाला जाए। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर कुत्तों को अपने साथ सुलाना या भोजन करवाना या उन्हें चूमना, चाटना या चाटने देना वर्जित माना जाए। ऐसा करना नि:संदेह खतरे से खाली नहीं। कुत्ता बेशक लाभदायक पशु है किन्तु मनुष्य को इसकी हानियों से अवगत होना चाहिए। यह मित्र है तो यह एक भयंकर शत्रु भी सिद्ध हो सकता है। हर चीज सीमा में ही सुखद होती है।

12. पुराने जमाने में अनभिज्ञतावश कुत्ते के काट लेने पर अनेक प्रकार के घरेलू उपचार ही पर्याप्त समझे जाते थे और परिणामत: रैबीज़ का शिकार हो जाना आम बात थी। गांव में स्थिति बहुत चिंताजनक है, जहां ऐसे केस होते भी अधिक हैं और उपचार के साधन भी उपलब्ध नहीं। घाव पर लाल मिर्च या सुरमा बांध दिया जाता था और निश्चिन्त हो जाना ही नियति थी। इस प्रकार लोग अज्ञानतावश जान से हाथ धो बैठते थे। अत: आज के आधुनिक युग में जब उपचार के साधनों का विस्तार हुआ है और रैबीज़ की रोकथाम के टीके प्रत्येक अस्पताल या डिस्पैंसरी में उपलब्ध हैं, घरेलू उपचारों-मिर्च या सुरमा आदि बांधना छोड़कर डाक्टर के पास जाना चाहिए और उचित सलाह लेकर उचित उपचार करवाना चाहिए। डाक्टर के पास जाने से

पूर्व यदि हो सके तो घाव को बोरिक ऐसिड अथवा साबुन आदि से धो सकते हैं और डाक्टर के कहे अनुसार टीकों का पूरा कोर्स लगाना चाहिए। कुत्ते को, संभव हो, तो देखते रहें और इसकी जानकारी अपने डाक्टर को देते रहें। दस दिन तक यदि कुत्ता जीवित रहता है, तो टीकों का शेष कोर्स छोड़ा जा सकता है। फिर भी डाक्टर की राय ही अंतिम है।

13. कुत्ते काटे के संबंध में असावधानी या लापरवाही घातक हो सकती है। कुत्ते काटे को गम्भीरता से लें। बच्चे को कुत्तों से दूर रखें। यदि पालतू कुत्ता है तो इसे जंजीर बांधकर रखें ताकि वह मिलने आने वालों को न काट सके। आवारा कुत्तों के सम्पर्क में अपने पालतू कुत्ते को न आने दें। डाक्टर की सलाह के अनुसार कुत्ते को आवश्यक टीके समय-समय पर लगवाते रहें। किसी भी रोग से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सावधानी ही है और रैबीज़ या जल-भीति से तो हमें केवल सावधानी ही बचा सकती है। याद रहे जब कभी दुर्घटना हो जाए तो घर बैठकर उपचार न कर तुरंत अपने डाक्टर के पास जाएं और उसकी सलाह पर आचरण करें।

20/30, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

ग़ज़ल

—प्रा० शशिकान्त पशीने 'शाकिर'

हैवानियत दिलों में, उभरने लगी है अब।
नफ़रत की फिर से आग, सुलगने लगी है अब।

बारुद है बिछी हुई, रंजिश की हर तरफ,
बस्ती हमारे दिल की, दहकने लगी है अब।

अब अस्त हो रहा है, शराफ़त का आफ़ताब,
ज़ुल्मों-सितम की शाम, पसरने लगी है अब।

पेड़ों को काट-काट के, वीरान कर दिया,
छाया को नर्म काया, तरसने लगी है अब।

इस आदमी की नस्ल, दिनोदिन बिगड़ रही,
शैतानियत दिलों में, मचलने लगी है अब।

बदनाम हो रहा बशर, नाम के लिए,
इज़्ज़त की पगड़ी सर से, उतरने लगी है अब।

दिल की ज़मीं पे नागफणी, सर उठा रही,
विष-बेल फिर दिलों में, पनपने लगी है अब।

बढ़ने लगा है दिल में, जफ़ाओं का सिलसिला,
'शाकिर' वफ़ा भी सच से, मुकरने लगी है अब।

———

गाडगे नगर, अमरावती-444603

गीत

*लालसा लाल तरंग

खिड़की से अब
पीली किरणें
सूरज ने क्यों खींचलीं ?

चुपके से हर रोज किरण
घुस आती
खिड़की से भीतर
रेंगा करती है दीवाल पर
मुस्कराती
हंसती दिन भर,
पता नहीं क्यों
भरी शाम में
अपनी आंखे मींच लीं ?

उज्ज्वल, शिवम ठंड में उससे
उछल, कूद
कमरे में खेलें
काजल, अनुकृति,
प्रतिकृति, बाबी
खुश खुश जैसे ठेला ठेलें,
रेनू, रजनी, किरण, प्रगति ने
सुख में आंखें सींच लीं।

2840 HA/2002—5A

सृजन नियंत्रण किरणों का
केवल सूरज के हाथ है
समदर्शी उसकी
नजरें हैं

धरती का वह नाथ है।
घर की सच्चाई ने
घर में पूरी धरती घींचली।

भारतीय कंटेनर निगम, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020

2849 HA/2002—5B

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां

राजभाषा विभाग का हिंदी दिवस समारोह

हिंदी का आग्रह ही हिंदी को बढ़ाएगा.—हिंदी दिवस कर्मकाण्ड नहीं, बल्कि भाषा कंप्यूटिंग का एक प्रखर कार्य-क्षेत्र : आडवाणी

14 सितम्बर, 2002 को हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राजभाषा विभाग और सी-डैक के लीला-हिंदी प्राज्ञ पैकेज का लोकार्पण करते हुए भारत के उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सी-डैक द्वारा हिंदी भाषा कंप्यूटिंग के क्षेत्र में किए गए सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों की सराहना की और यह आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में राजभाषा विभाग भाषा कंप्यूटिंग के क्षेत्र में और अधिक नए-नए अनुप्रयोगों का विकास करेगा। इस अवसर पर राजभाषा विभाग के हिंदी पोर्टल का प्रमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से राजभाषा विभाग सरकार और जनता के बीच दोतरफा संवाद स्थापित कर सकेगा। उन्होंने अपने 30-35 वर्षों पहले लिखे हुए एक लेख How English became the Official Language of England उल्लेख करते हुए कहा कि एक अंग्रेजी कवि ने कहा था कि अगर सारा इंग्लैंड अंग्रेजी को अपना ले तो अंग्रेजी विश्व की भाषा बन सकती है। इसी तरह मेरा मानना है कि अगर सारा हिंदुस्तान हिंदी को अपना ले तो हिंदी विश्व की भाषा हो सकती है।

इस अवसर पर सी-डैक, पुणे के कार्यकारी निदेशक श्री आर० के० अरोड़ा ने हिंदी भाषा कंप्यूटिंग में पिछले कुछ वर्षों में हुए विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। अपने वक्तव्य में मानकीकरण को और उसके जरिए हिंदी भाषा के अनुप्रयोगों और लीला, आई०एस०एम०, आई० प्लग-इन, जिस्ट कार्ड तथा मंत्र, मशीनी अनुवाद तथा चित्रांकन (देवनागरी ओ०सी०आर०) एवं लीला उत्पादों की भी जानकारी दी। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता आदि की विशेषता बताई । उन्होंने भारतीय भाषाओं के फॉन्ट्स विकास, इन्सक्रिप्ट तथा इस्की (ISCII)मानक पर आधारित विकास कार्यों की भी चर्चा की। अपने वक्तव्य में उन्होंने प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों का उल्लेख करते हुए मशीन अनुवाद, स्पीच से स्पीच अनुवाद प्रणाली, विभिन्न भाषाओं में ओ०सी०आर तथा भाषा आधारित सूचना रिट्रीवल प्रणाली की महत्ता बताई।

समारोह के अध्यक्ष माननीय गृह राज्य मंत्री आई० डी० स्वामी ने बताया कि केन्द्रीय हिंदी समिति ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय

परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र की तरह हिंदी का भी अनिवार्य प्रश्न-पत्र रखा जाना चाहिए और इन दोनों प्रश्न-पत्रों के अंकों को योग्यता सूची बनाने के लिए न गिना जाए। उम्मीदवार के लिए किसी एक में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

राजभाषा नीति के कार्यन्वयन में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के लिए माननीय उप प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए।

उद्घाटन समारोह के उपारांत तकनीकी संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें भाषा तकनीक, मशीन अनुवाद तकनीक, ओप्टीकल करेक्टर रकेगनाइजेशन (ओ०सी०आर०) तथा हिंदी में ई-मेल पर प्रर्दशन किया गया। भाषा तकनीक पर प्रो० सूरज भान सिंह ने सूचनात्मक एवं ज्ञानात्मक विषय पर प्रस्तुति दी। संगोष्ठी में विकासशील देशों की स्थानीय भाषाओं के लिए भाषा इंटरफेस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉ० हेमन्त दरबारी ने मशीन अनुवाद तकनीक पर प्रकाश डाला। ओप्टीकल करेक्टर रिकगनाइजेशन (ओ०सी०आर०) पर आदित्य गोखले तथा हिन्दी में ई-मेल पर सुश्री नंदिनी डे जैसे प्रख्यात विद्वानों द्वारा दृश्य प्रस्तुतीकरण किए गए।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री एस० के० टुटेजा जी ने अपने स्वागत भाषण में राजभाषा विभाग की हिंदी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग के पोर्टल से अब हिंदी में ई-मेल सुविधा भी उपलब्ध होगी और विभाग के अधिकारी निर्धारित समय में वार्तालाप (Chat) के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्त में संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग श्री मदन गुप्त ने मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 37वीं बैठक माननीय गृहमंत्री (उप प्रधानमंत्री) की अध्यक्षता में 28 मई, 2002 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी के सम्मेलन कक्ष में हुई। बैठक में माननीय गृहराज्यमंत्री श्री आई. डी. स्वामी, गृह सचिव तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। गृह सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग प्रेरणा और प्रोत्साहन देकर बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं और विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को प्रति वर्ष राजभाषा शील्ड प्रदान करना इस दिशा में एक प्रमुख कदम है। बैठक के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों को माननीय गृहमंत्री जी ने राजभाषा शील्डें प्रदान कीं :—

1. भारत तिब्बत सीमा पुलिस	प्रथम पुरस्कार
2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	द्वितीय पुरस्कार
3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	तृतीय पुरस्कार
4. सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	विशेष पुरस्कार

इस अवसर पर माननीय गृहमंत्री जी ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि मंत्रालय के अन्य कार्यालय भी उनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में अधिकाधिक काम कराने और पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

समिति ने 36वीं बैठक की सिफारिश पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की। प्रोफेसर संसार चंद्र के इस रहस्योद्घाटन पर कि चण्डीगढ़ प्रशासन में सारा कार्य अंग्रेजी में होता है और वहां पर पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, गृहमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इस मामले में चण्डीगढ़ के प्रशासक से विचारविमर्श कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाए। मंत्री महोदय ने समिति सदस्यों को सूचित किया कि हिंदी पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाने के लिए उन्होंने वित्तमंत्री को पत्र लिखा है। मंत्री महोदय ने यह निर्णय लिया कि बेतार संदेशों को छोड़कर अन्य सभी पत्रों को हिंदी में भेजा जाए।

गृह मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित छोटे-मोटे मसलों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यों की एक छोटी समिति गठित की जाए जिसमें डा. राजेन्द्र अवस्थी,

श्री जयकिशन गौड़ और डा. मुकुल चंद पांडेय को शामिल किया जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का मामला स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए शेष बचे आशुलिपिकों एवं टाइपिस्टों को क्रमश: हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने का कार्य पूरा किया जाए। जनगणना संबंधी सभी अखिल भारतीय प्रकाशनों को द्विभाषी (डिग्लाट) रूप में प्रकाशित किया जाए। सभी कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों से हिंदी में कार्य करने का दायरा बढ़ाया जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराई जाए। सिक्किम और गोवा को 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र में लाने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। स्वागत अधिकारियों के कार्यालयों द्वारा पास बनाने में हिंदी का प्रयोग किया जाए।

विविध

राजभाषा उत्सव का आयोजन

चेन्नई स्थित प्रधान कार्यालय में 23 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2002 तक हिंदी निबंध, वाक, टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं संबंधी समापन समारोह का आयोजन 31 मई, 2002 को दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक श्री वे आनन्द की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस समारोह में प्रचारक एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री एम० सुब्रहमणियम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने में रेलवे के योगदान पर प्रकाश डाला।

दक्षिण रेलवे में मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री के.के. बाजपेयी ने अपने संबोधन में चेन्नई में स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों की तुलना में दक्षिण रेलवे में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न तरीकों का उल्लेख किया। महाप्रबंधक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया।

बी.एच.ई.एल. के अधिकारी को डा. मेघनाथ साहा पुरस्कार से सम्मानित

अप्रैल, 2002 के दौरान दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री बंदी सिंह रावत ने 'हाइड्रोजरेटर के व्यावहारिक पक्ष' नामक पुस्तक के लेखक और बी.एच.ई.एल. के अधिकारी श्री शंभु रत्न अवस्थी को डा. मेघनाथ साहा पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में श्री रावत ने श्री अवस्थी को सम्मान-पत्र एवं स्मृति चिह्न के साथ 40 हजार रुपये की नगद राशि भी प्रदान की। भेल, भोपाल के महाप्रबंधक श्री सी.पी. सिंह, भेल, नागपुर के महाप्रबंधक श्री ए.के. भल्ला, कारपोरेशन कार्यालय के श्री एम.सी. प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि ने विज्ञान तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रभाषा हिंदी में पुस्तकों की घटती संख्या पर चिन्ता व्यक्त की। इस स्थिति से उबरने के लिए उन्होंने हिंदी में तकनीकी लेखन हेतु पुरस्कार राशि एवं पुरस्कारों की संख्या की वृद्धि की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि इस पुस्तक का लोकार्पण भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री कृष्णकात ने किया था।

गृह मंत्रालय की राजभाषा शील्ड भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल को

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा शील्ड योजना के तहत वर्ष 2000-01 के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। केन्द्रीय गृहमंत्री (उप प्रधान मंत्री) श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 28 जून, 2002 को आयोजित गृह मंत्रालय की 37वीं हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान गृह मंत्रालय की राजभाषा शील्ड विजेता कार्यालयों को प्रदान की गई। बल के महानिदेशक श्री एस.सी. चौबे ने श्री आडवाणी के कर कमलों से राजभाषा शील्ड प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रति वर्ष 1991 से 1996 तक लगातार 6 बार इस योजना के तहत प्रथम पुरस्कार और 1998 तथा 1999 में दो बार द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

अपने संबोधन में श्री आडवाणी ने कहा कि हमारे सैनिक एक तरफ जहां देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे सरकार की राजभाषा नीति के क्षेत्र में भी अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अर्धसैनिक बल हिंदी में कार्य करने के लिए जागरूक हैं। इनमें भी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने हिंदी के क्षेत्र में काफी अच्छी प्रगति की है। उन्होंने बल को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी।

डाक लेखा भारती का विमोचन

23 अप्रैल, 2002 को प्रमुख सचिव राज्यपाल श्री शम्भू नाथ के कर कमलों द्वारा कार्यालय निदेशक डाक लेखा अलीगंज द्वारा गृह पत्रिका डाक लेखा भारती के प्रवेशांक का विमोचन किया। विमोचन समारोह की अध्यक्षता उ.प्र. डाक परिमण्डल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री आई. एम.जी. खान ने की।

मुख्य अतिथि श्री शम्भू नाथ जी ने पत्रिका का विमोचन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रयास कार्यालय के सभी कर्मचारियों की सृजनशीलता को प्रोत्साहित करेगा एवं सार्थक अभिव्यक्ति तथा संवाद स्थापित करने में सहयोग करेगा।

चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री खान ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पत्रिका के प्रकाशन को एक सराहनीय प्रयास बताया और कहा कि इस प्रकार के कार्य-कलापों के बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं।

कंप्यूटरीकृत राजभाषा क्विज

दिनांक 29 मई, 2002 को बोकारो स्टील प्लांट के विक्रय कार्यालय में कंप्यूटरीकृत राजभाषा क्विज का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने भाग

लिया। कुल 7 टीमों में से आरंभिक दो में लिखित परीक्षा द्वारा 4 टीमों का चयन किया गया। इन टीमों से कंप्यूटर के स्क्रीन पर विभिन्न रंगों एवं फ़्लाइंग प्रभाव के साथ नाना ध्वनियां देकर उत्तर मांगे गए। इन टीमों से राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित तथा अन्य प्रश्नों के उत्तर पूछे गए। बोकारो इस्पात संयंत्र के विशेष अतिथि श्री वाई.पी. साहू ने इसे सफल आयोजन एवं अनूठा प्रयोग बताया और कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदी में सारा काम करना संभव हो सकेगा। इस अवसर पर शाखा प्रबन्धक श्री रजी अनवर ने सभी कर्मियों को शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया। 3 विजेता टीमों को स्मृति चिह्न व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

कार्यशालाएं

सीमा सड़क महानिदेशालय, रिंग रोड, नई दिल्ली

महानिदेशालय की एक परियोजना सेवक में 4-5-2002 से 8-5-2002 तक पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें परियोजना और इसकी अर्धानस्थ यूनिट के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यालय सेवक परियोजना के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री आत्माराम ने किया। ले. कर्नल के.के. परमार ने सरकारी कामकाज को अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी में करने पर बल दिया। प्रतिभागियों को राजभाषा नीति, देवनागरी लिपि, वर्तनी और सामान्य शब्दावली की जानकारी दी गई और उन्हें टिप्पण और आलेखन का अभ्यास कराया गया।

आकाशवाणी, इन्दौर

22 से 26 अप्रैल, 2002 तक 5 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ डा. गणेशदत्त त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि की ध्वनियां सबसे वैज्ञानिक ध्वनियां हैं। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा और पढ़ा जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केन्द्र निदेशक श्रीमती गीता मरकाम ने कहा कि आकाशवाणी, इन्दौर के लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी जानते हैं, हिंदी में प्रवीण हैं और वे अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करते हैं। फिर भी व्यक्ति हमेशा सीखना चाहता है, ज्ञान ग्रहण करना चाहता है। सरकारी कामकाज करते समय कुछ न कुछ कठिनाइयां आती ही हैं इसलिए इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यशाला में भाग लेकर राजभाषा विभाग के शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। श्री राज केसरवानी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने 'कार्यालीन हिंदी का स्वरूप और पत्राचार के विभिन्न रूप' विषय पर प्रशिक्षार्थियों को हिंदी में कार्य करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो

7 मई, 2002 को प्रधान कार्यालय ने एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डा. मृत्युंजय मुखोपाध्याय ने किया। कार्यशाला

में 17 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में डा. मुखोपाध्याय ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में ही करना चाहिए। प्रतिभागियों को राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, अधिनियम आदि की जानकारी दी गई। उन्हें हिंदी टिप्पण, प्रारूप लेखन तथा पत्राचार की विभिन्न पद्धतियों का भी अभ्यास कराया गया।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली

वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टाफ के अधिकारियों के लिए मुख्यालय में 27 से 31 मई, 2002 तक 5 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में तकनीकी विषयों को लेते हुए पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया ताकि कार्यशाला में भाग लेने वाले तकनीकी पदाधिकारियों को अपना कार्य हिंदी में करने में आसानी हो। कार्यशाला में तकनीकी कार्य हिंदी में करने के लिए लीप ऑफिस एवं अन्य अनुप्रयोग पैकेजों का खुलासा किया गया। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि वे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों की मदद से आसानी से अपना कामकाज हिंदी में कर सकते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

परिषद् मुख्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों के लिए 2 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पहली कार्यशाला कृषि भवन में 10-4-2002 को तथा दूसरी कार्यशाला पूसा में दिनांक 23 और 24 मई, 2002 को आयोजित हुई। दोनों कार्यशालाओं में कुल 31 अधिकारियों ने भाग लिया। केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री विचारदास ने प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम एवं नियमों की विस्तृत जानकारी दी तथा इनके कार्यान्वयन की अनिवार्यता और महता पर प्रकाश डाला। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की रीडर डा. पी. सी. टण्डन ने राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए अनुभाग अधिकारियों को प्रेरित किया तथा हिंदी में काम करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के हल प्रस्तुत किए।

आयकर विभाग, मिर्जापुर

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिनांक 16 मई, 2002 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन इलाहाबाद प्रभार के आयकर आयुक्त श्री राजीव देव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए कार्मिकों को नई तकनीकों तथा विधियों से परिचित कराने के लिए इन-सर्विस ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं के संचालन की उपयोगिता को बताते हुए इसे वर्ष भर चलाने के आदेश दिए। अपर आयकर आयुक्त श्री अशोक कुमार ने

प्रतिभागियों से अपेक्षा की कि वे सरकारी कामकाज हिंदी में करने के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता को भी बनाए रखें। उन्होंने कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेकर इसकी सहायता से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई

दिनांक 23 मई, 2002 को सूचना प्रोद्योगिकी, भूमण्डलीकरण एवं विनिवेशीकरण विषय पर बहुउपयोगी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 35 हिंदी अधिकारियों/ सिस्टम अधिकारियों ने भाग लिया। तमिल पुलिस के अपर महानिदेशक श्री चन्द्रशेखर मुंजिनी, आई.पी.एस. ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक श्री एस.आर.आर. राव ने की। श्री मुंजिनी ने कहा कि समसामयिक विषयों पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भाषाई सौहार्द के लिए बहुत ही उपयोगी है। अध्यक्षीय भाषण में क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (राजभाषा) ने कहा कि राजभाषा नीति का अनुपालन संवैधानिक आवश्यकता है। समापन समारोह में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महाप्रबंधक श्री जी.बी. सुब्रहमण्यम ने प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम के सुचारू आयोजन एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान संयोजन के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बल्लारपुर क्षेत्र, सास्ती (महाराष्ट्र)

30 मई से 1 जून, 2002 तक 3 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के 17 अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्षेत्रीय प्रशिक्षण अधिकारी श्री काशी विश्वनाथन ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता (उत्खनन) श्री आर.के. जायसवाल उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हिंदी संवैधानिक रूप से हमारे देश की राजभाषा है जिसे सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए तथा राजभाषा नियमों और अधिनियमों के सभी प्रावधानों का आवश्यक रूप से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

आकाशवाणी, बीकानेर

28 मई, 2002 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस विषय पर वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'मरूवाणी' के छठे अंक का लोकार्पण किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं बीकानेर के मंडल रेल प्रबंधक श्री एल.सी. मजूमदार लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि हिंदी में मेरी गहरी रुचि है। इस बात पर मुझे स्वयं पर गर्व महसूस होता है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है। इसे सम्मान देना हमारा धर्म है।

आकाशवाणी, नागपुर

15 जून, 2002 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई जिसका उद्घाटन अधीक्षण अभियंता श्री मोहन सिंह ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को अनुवाद प्रक्रिया, पत्राचार के विभिन्न प्रकार, प्रसारण में हिंदी का प्रयोग और टिप्पण एवं लेखन संबंधी जानकारी दी गई और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोनापावला, गोवा

6 और 7 जून, 2002 को 2 अर्द्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के 30 तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में 'राजभाषा दशा और दिशा', 'मसौदा एवं टिप्पणी लेखन', 'राजभाषा नीति' और 'पत्राचार एवं पत्रों के प्रकार' विषयों पर जानकारी दी गई और अभ्यास कराया गया। कार्यकारी निदेशक डा. एम. आर. नायक ने कहा कि राजभाषा हिंदी में देश को जोड़े रखने की शक्ति है और कार्यशाला सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वयन करने की दिशा में एक कदम है।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

17 एवं 18 जून, 2002 को संयंत्र के कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रमुख आद्योगिक संयंत्र सुरक्षा प्रभार, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् मुंबई के श्री पी. के. घोष ने किया। श्री घोष ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसे सीखना बहुत आवश्यक है। महाप्रबंधक श्री टी. के. हालदार ने कहा कि हमें राजभाषा हिंदी का अपने दैनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली

निदेशक (प्रशा.) श्री उमेश कुमार के सफल नेतृत्व में 17 से 20 जून, 2002 तक 4 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें 21 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, राजभाषा नीति, हिंदी प्रशिक्षण सुविधाएं और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्पोरेशन बैंक, लखनऊ

17 और 18 जून, 2002 तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित शाखाओं के लिपिकों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. मोहम्मद मुजम्मिल ने किया। उन्होंने कहा कि किसी

भाषा को समझने के लिए उसकी संस्कृति को समझना आवश्यक है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए सहायक प्रबंधक श्री एच.एस. सैनी ने कहा कि बैंकिंग उद्योग में हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। यदि हिंदी में काम करने से हमारा लाभ बढ़ता है तो हमें हिंदी में अवश्य काम करना चाहिए।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली

26 जून, 2002 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को राजभाषा नीति एवं पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जानकारी दी गई।

आकाशवाणी, पणजी (गोवा)

24 जून, 2002 को 3 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केन्द्र निदेशक श्री बी.डी. मजूमदार ने किया। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप राजभाषा नीति को अपनाते हुए हमें अन्य भारतीय भाषाओं का भी विकास करना चाहिए। उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया।

जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित

19-6-2002 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रशा. (वित्त) एवं तकनीकी स्कंधों के कार्मिकों ने भाग लिया। उप मुख्य प्रबंधक श्री एस. के. आहूजा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। अधिकारियों को राजभाषा हिंदी की सांविधिक आवश्यकता और इसके कार्यान्वयन संबंधी जानकारी दी गई और उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तृश्शूर

दिनांक 28-5-2002 को श्री बी.एस. शिंदे., निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृश्शूर की अध्यक्षता में समिति की 29वीं बैठक हुई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्य कार्यालयों से अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय को वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर

दिनांक 30 मई, 2002 को श्री देव कुमार दत्ता, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, रायपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सदस्य कार्यालयों की छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के उपरांत अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर बल दिया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी प्रलेख द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। साथ ही हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण यथाशीघ्र पूरा कराया जाए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर

आयकर आयुक्त श्री सुशील कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में दिनांक 7-3-2002 को समिति की 43वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर विशेष बल दिया कि पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाया जाए और उसका प्रयोग बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री जसवंत सिंह, अनुसंधान अधिकारी, गाजियाबाद ने समिति की गतिविधियों की प्रशंसा की और सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि इसे प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों के कारगर सहयोग की जरूरत है जिससे हम समिति के गौरव को और बढ़ा सकेंगे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कटक

दिनांक 19-6-2002 को श्री मुरलीधर साहु, केन्द्र निदेशक, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी, कटक की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

श्री साहु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु प्रयास ऊपर से नीचे की और अर्थात् वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी

2849 HA/2002—6A

का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा एवं राजभाषा नीति के अनुपालन को गति मिलेगी।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देवास

दिनांक 5-6-2002 को श्री एम.डी.सिंह, महाप्रबंधक, बैंक नोट मुद्रणालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। श्री सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उपस्थित सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रति सजगता एवं निष्ठा का सार्थक प्रमाण है। हम सभी जिस तरह शनै: शनै: राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं वह अत्यंत प्रशंसनीय है। उदारीकरण और बदलते परिदृश्य में हम अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में ढाल रहे हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इम्फाल

दिनांक 2-5-2002 को श्री के. जी. महालिंगम, महालेखाकार (ले.प.) मणिपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यालयों में राजभाषा नीति को कार्यान्वित करना एक वैधानिक दायित्व है। अत: सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जबलपुर

दिनांक 15 मई, 2002 को श्री नरेश कुमार सहाय, महाप्रबंधक, तोपगाड़ी निर्माणी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्री सुनील सरवाही, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल ने राजभाषा नीति एवं उस के कार्यान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम को राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया। श्री सहाय ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि प्रारंभ में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन बड़ी दृढ़तापूर्वक प्रयास करते रहे और हमें सफलता भी मिली। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों से अपील की कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राजभाषा कार्यान्वयन में अपने दायित्वों को निभाए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सुनाबेड़ा, कोरापुट

दिनांक 27-4-2002 को श्री देवकीनन्दन व्यास, महाप्रबंधक एच.ए.एल. कोरापुट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित 'नालकों' दामनजोड़ी के कार्यापालक निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हिंदी पूरी तरह रच बस गई है।

2849 HA/2002—6B

अहिंदी भाषी प्रदेश होते हुए भी वहां की जनता के बीच हिंदी सहज स्वीकार्य भाषा बन गई है। इसमें समिति के माध्यम से राजभाषा हिंदी को ओर आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने कहा कि थोड़े से प्रयासों से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले विजेता कार्यालयों को समिति की ओर से बधाई दी तथा समिति की प्रगति या संतोष व्यक्त करते हुए सरकारी कामकाज में और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन

कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है।

इसी श्रृंखला में इफको की कंडला इकाई में अनुवाद तथा हिंदी के कार्य से जुड़े कर्मचारियों को अनुवाद की प्रक्रिया और सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए तथा द्विभाषिकता की वर्तमान स्थिति और हिंदी के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए भारत सरकार के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, दिल्ली की ओर से 3 जून से 7 जून, 2002 के दौरान संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के श्री इंद्रजीत चावला तथा श्री नरेश कुमार, प्रशिक्षण अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्रदान किया जिसमें 28 कर्मचारियों ने भाग लिया।

3 जून, 2002 को इकाई के प्रशिक्षण केंद्र में इफको-कंडला के माननीय कार्यकारी निदेशक के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यालय के दैनिक कामकज में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतू सरल हिंदी का प्रयोग करें और अनुवाद करते समय जटिल शब्दों को न लेते हुये बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि पूरे उत्साह और लगन के साथ इस प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए कार्यालय के दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम को आरम्भ करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा महा प्रबंधक श्री सत्य प्रकाश यादव ने कार्यकारी निदेशक, ब्यूरो से पधारे हुए प्रवक्ताओं तथा अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए इस पाठ्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि इफको की कंडला इकाई ने पाँचवीं बार इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन किया है ।

ब्यूरो से पधारे हुए प्रवक्ता श्री इंद्रजीत चावला ने ब्यूरो के कार्यकलापों के बारे बताते हुए कहा कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रवक्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यालयों में जाकर यह संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे अधिक से अधिक कर्मचारियों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का सैद्धांतिक ज्ञान मिले और अनुवाद की दृष्टि से एक रूपता बनी रह सके। उन्होंने इफको कंडला इकाई की सराहना करते हुए प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया।

अंत में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव-व-मुख्य प्रबन्धक (कार्मिक व प्रशासन) श्री के. भास्करन ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया।

पांच दिन के इस संक्षिप्त अनुवाद पाठ्यक्रम में निम्नलिखत विषयों पर चर्चा की गई—

1. भारत सरकार की राजभाषा नीति, नियम-अधिनियम,
2. अनुवाद के सिद्धांत और प्रक्रिया
3. प्रशासनिक शब्दावली और अभिव्यक्तियां
4. अनुवाद में अनेकार्थी शब्दों की समस्या
5. वाक्य संरचना व जटिल वाक्यों की समस्या
6. मानक वर्तनी
7. हिंदी शब्दकोश का ज्ञान

7 जून, 2002 को इस पाठ्यक्रम के समापन समारोह में पधारे हुए प्रवक्ताओं ने सभी भागकर्ताओं तथा इफको कंडला प्रबन्धन का आभार व्यक्त किया और सभी भागकर्ताओं को उनके सफलता पूर्वक अभ्यास पूरा करने पर महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए ।

''कृषि इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण विन्यास'' विषय पर अखिल भारतीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास कार्य में रत होने के साथ-साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं नई तकनीकों को जन-साधारण तक जन-सुलभ भाषा में पहुंचाने के लिए भी प्रयासरत है।

इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए संगठन में दिनांक 23-24 अप्रैल, 2002 की ''कृषि के लिए उपकरण विन्यास'' विषय पर दो-दिवसीय अखिल भारतीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में सीएसआइआर और आईसीएआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा देश के कृषि विश्वविद्यालयों से 70 से अधिक कृषि प्रौद्योगिकीविदों एवं वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विषयों पर पेपर प्रस्तुत किए :

1. कृषि में इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी
2. फसल पश्च प्रौद्योगिकी
3. जल प्रबंधन
4. कृषि में ऊर्जा
5. इनपुट प्रबंधन—उर्वरक, कीटनाशी व भू-विकास तकनीकें

संगोष्ठी का उद्घाटन पूर्व सांसद श्री सत्यपाल जैन ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में आम व्यक्ति तक वैज्ञानिक जानकारी मातृभाषा में पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में व्यक्त भावनाओं की अभिव्यक्ति का अंग्रेजी में अनुवाद कर पाना असंभव है, क्योंकि शब्द भावनाओं के द्योतक होते हैं। उन्होंने संयोजकों को कृषि जानकारी हिंदी में उपलब्ध करवाने के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर संगठन निदेशक, डॉ राम प्रकाश बाजपेयी ने कृषि वैज्ञानिकों का स्वागत किया और कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में उपकरण बहुत ही सहायक हैं। उन्होंने संगठन में लेज़र तकनीक द्वारा भूमि समतल करने, फसलों की सुरक्षा के लिए पशु-पक्षियों को दूर रखने और बीजारोपण के लिए विकसित किए जा रहे उपकरणों की जानकारी दी।

डॉ हरीश कुमार, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में आयोग के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि आयोग ने कृषि

विषय पर 400 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं और अपने नए कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य भारतीय भाषाओं में भी तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं।

संगोष्ठी के समापन समारोह में संगठन निदेशक ने कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि हिंदी भाषा इस देश के भू-भाग पर ही नहीं, अपितु विश्व के अन्य देशों में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, इसके लिए हम सभी के द्वारा सांझे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इस संगोष्ठी को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं तिलहन, दलहन एवं मक्का पर प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रायोजित किया।

ध्यातव्य है कि संगठन में इससे पहले वर्ष 1995 एवं 1998 में संगठन द्वारा उपकरणों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर दो अखिल भारतीय हिंदी संगोष्ठियों का सफल आयोजन किया गया।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अंतर्गत अधिसूचना

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) में प्राप्त सूचना के अनुसार केंद्र सरकार के राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को अधिसूचित किया गया :—

1. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, इलाहाबाद
2. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, बांद्रा (उ०प्र०)
3. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, श्रीनगर (पौड़ी-गढ़वाल)
4. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, गुड़गांव (हरियाणा)
5. भारतीय खाद्य निगम, जिला आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तर), नई दिल्ली।
6. केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन, तिरूवनंतपुरम।
7. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
10. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
11. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश।
12. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
13. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
14. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
15. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
16. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, बिहार।
17. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा।

18. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

19. लघु उद्योग मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रवि किरण बिल्डिंग, चन्दर नगर, गुड़गांव।

20. लघु उद्योग मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 118-बी, सैक्टर-18, नोएडा।

21. लघु उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एन.एस.आई.सी. भवन, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।

आदेश—अनुदेश

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली का दिनांक 18/04/2002 का का०ज्ञा० सं० 19015/11/2000/प.पा./के०हि०प्र०सं०

विषय :—हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम-सत्र—जुलाई 2002 से मई 2003।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण, संस्थान नई दिल्ली के तत्वाधान में हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण (अंग्रेजी माध्यम) का आगामी सत्र जुलाई, 2002 से प्रारंभ होगा। ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केन्द्र सरकार तथा उसके उपक्रमों, निगमों, निकायों, बैंकों आदि के उन कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है और जो गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं, किन्तु जो अपनी तैनाती के स्थानों पर हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाओं के उपलब्ध न होने या किन्हीं अन्य कारणों से अब तक प्रशिक्षित नहीं किए जा सके हैं।

2. इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें, पत्राचार पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र का प्रोफार्मा क्रमशः परिशिष्ट 1, 2, एवं 3 में दिए गए हैं। प्रवेश के लिए केवल निर्धारित प्रपत्र में तथा विधिवत् हिंदी अथवा अंग्रेजी में भरे हुए आवेदन-पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। प्रवेश के लिए पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20 जून, 2002 तक इस कार्यालय को अग्रेषित किए जाएं। आवेदन-पत्र अग्रेषित करने से पूर्व कर्मचारियों/अधिकारियों की इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता भी सुनिश्चित की जाए।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन के विषय में अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए पृथ्वी राज रोड, नई दिल्ली-110011 से संपर्क करें।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 19 अगस्त, 2002 का का०ज्ञा०सं० I/14034/02/2002 रा०भा० (नीति-1)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिन्दी दिवस-2002

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस और उस दिन से शुरू करके हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा, माह मनाते आ रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए वातावरण तैयार करना तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम मनाए जाएं। कार्यक्रम ऐसे हों जिनसे संविधान की भावना के अनुरूप और भारत सरकार के निदेशों के अनुसार सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में करने के लिए प्रेरणा मिले।

2. इस वर्ष 14 सितम्बर से शुरू होने वाले ये कार्यक्रम यथासंभव निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हों :—

(i) टिप्पण और आलेखन में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग।

(ii) प्रशासनिक बैठकों आदि में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग।

(iii) वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं में वैज्ञानिकों द्वारा राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ना।

(iv) नीतिगत सभी दस्तावेजों की हिंदी में उपलब्धता।

(v) आधुनिक ज्ञान के क्षेत्र में साहित्य का हिंदी में सृजन।

(vi) प्रशासनिक दायित्वों वाले विषयों से संबंधित हिंदी शब्द भंडार को समृद्ध करना।

(vii) वेबसाईट (Web-site) में जानकारी हिंदी में भी देना।

(viii) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संघ की राजभाषा नीति की जानकारी देना।

3. अनुरोध है कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कृषि मंत्रालय इत्यादि अपने सुविचारित कार्यक्रम तैयार करें और उन्हें क्रियान्वित करवाएं तथा अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं आदि को भी आवश्यक निदेश जारी करें।

आयोजित कार्यक्रमों से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराएं।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (राजभाषा विभाग) द्वारा वर्ष 2002-2003 में आयोजित किए जाने वाले अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का कैलेंडर

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तारीख	परीक्षा की तारीख	प्रशिक्षण केंद्र
1	2	3	4	5	6
01.	त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3 माह 360 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष	1 अप्रैल से 30 जून, 2002 1 जुलाई, से 30 सितंबर, 2002 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2002 1 जनवरी, से 31 मार्च, 2003	सत्र की समाप्ति पर	1. नई दिल्ली 2. बैंगलूर 3. कलकत्ता 4. मुंबई
02.	21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	21 कार्यदिवस 30 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष	अप्रैल से सितंबर, 2002 तक 1 कार्यक्रम अक्तूबर से मार्च, 2003 तक 1 कार्यक्रम	पाठ्यक्रम की समाप्ति पर	किसी भी कार्यालय/ नगर में, जहां से मांग प्राप्त होती है
03.	5 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	5 कार्यदिवस 400 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष	अप्रैल से जून, 2002 तक 4 कार्यक्रम जुलाई से सितंबर, 2002 तक 4 कार्यक्रम अक्तूबर से दिसंबर, 2002 तक 4 कार्यक्रम जनवरी, 2003 से मार्च 2003 तक 4 कार्यक्रम	कोई पराक्षा नहीं	किसी भी कार्यालय/नगर में, जहां से मांग प्राप्त होती है

1	2	3	4	5	6
04.	उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	5 कार्यदिवस 90 प्रशिक्षणार्थी प्रतिवर्ष	15-04-2002 से 19-04-2002 15-07-2002 से 19-07-2002 19-08-2002 से 23-08-2002 21-10-2002 से 25-10-2002 09-12-2002 से 13-12-2002 10-02-2003 से 14-02-2003	—	नई दिल्ली (मुख्यालय)

टिप्पणी :

01. त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिंदी अनुवादकों के अतिरिक्त वे कर्मचारी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जो अनुवाद तथा हिंदी के कार्य से जुड़े हों और जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी का स्नातक स्तर का ज्ञान हो।

02. 21 कार्यदिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 5 कार्यदिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षण की मांग, प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता, कार्यालयों की आवश्यकता तथा सुविधा के अनुसार विभिन्न नगरों में किया जाता है।

03. संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 21 कार्य दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुवाद अथवा राजभाषा कार्यान्वयन कार्य से जुड़े हुए सभी अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हैं।

04. उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण अनुवादकों/हिंदी अधिकारियों/राजभाषा अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

05. छात्रावास की व्यवस्था केवल नई दिल्ली और कलकत्ता में हैं, जिसके लिए प्रतिमास 220/रु० सेवा प्रभार देय होते हैं। भोजन व्यय प्रशिक्षणार्थी स्वयं वहन करते हैं तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं ब्यूरो उपलब्ध कराता है।

06. समस्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण नि:शुल्क है। अत: शिक्षा शुल्क के रूप में अथवा परीक्षा शुल्क के तौर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

07. संपर्क सूत्र :

1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल,, बी-ब्लॉक, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 4362151,4362988	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो छात्रावास, क्वार्टर सं० 876 से 890 सेक्टर-7, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017 दूरभाष : 6862873
दक्षिणी क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 5वां तल, केंद्रीय सदन, डी-ब्लॉक, 17वां मेन, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला बेंगलूर-560031 दूरभाष : 5537952, 5531946	छात्रावास उपलब्ध नहीं है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवांद ब्यूरो, 67-बी, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700 019 दूरभाष : 2476799, 2406043	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो छात्रावास, 67-बी, बालीगंज सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700 019 दूरभाष : 2476799, 2406043
पश्चिमी क्षेत्र	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, कामर्स हाउस, तीसरा माला, बेलार्ड एस्टेट, करीमभाई रोड, मुंबई-400038 दूरभाष-2611823, 2619478	छात्रावास उपलब्ध नहीं

MGIPRRND—2849HA/2002—2,000 Copies.